RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक ४] **गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०१६/श्रावण १३-१९, शके १९३८** **[पृष्ठे ६९**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१३.—महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण तथा संशोधन) अधिनियम सन् २०१३	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१३.—महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१३	६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१३.—महाराष्ट्र परियोजना से प्रभावित व्यक्तियोंका पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, २०१३	७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति और उप सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता, महाराष्ट्र मंत्रीयोंके वेतन तथा भत्ता, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्योंके वेतन तथा भत्ता और महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओंके वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१३	८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२, सन् २०१३.—महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१३ . .	११
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, सन् २०१३.—महाराष्ट्र कृषि विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	२९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	३१
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१३.—महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	३२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१३.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	३३

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (LEVY AND AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अप्रेल २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० अप्रैल २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त में कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारतीय गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय - एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण और संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाये।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे, राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग-अलग उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे।

अध्याय दो

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५८ का अधि. क्र. ६० में धारा ३०क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " स्टाम्प अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३० के पश्चात् निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५८ का अधि. क्र. ६०।

वित्तीय संस्थांओं द्वारा देय शुल्क।

" **३०क.** (१) धारा ३० में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धारा ३० के खण्ड (क) से (छ) में निर्दिष्ट कोई लिखत बैंक, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी, गृहनिर्माण वित्तीय कम्पनी या समरूप के पक्ष में या किसी वित्तीय संस्था द्वारा महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण तथा संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारम्भण के दिनांक को या के पश्चात् निष्पादित है या ऐसी वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में कोई अधिकार सृजित है तो उचित स्टाम्प शुल्क अदा करने का दायित्व उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई हो, अन्य पक्षकार से उसे संग्रहित करने के लिये संबंधित ऐसी वित्तीय संस्था पर होगा। सन् २०१३ का महा. ८।

सन् २०१३ का महा. ८।

(२) महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण तथा संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व निष्पादित किसी ऐसे लिखत के संबंध में प्रभावी है और जहाँ उचित स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया है तब, वित्तीय संस्था ३० सितम्बर २०१३ को या के पूर्व ऐसी लिखत अधिरोपित करेगी और उसे वसूली के लिये कलक्टर को अग्रेषित करेगी ;

(३) जहाँ वित्तीय संस्था उप-धारा (२) में यथा उपबंधित ऐसी लिखत अधिरोपण के लिये असफल होती है तब, संबंधित वित्तीय संस्था ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क के समान शास्ति अदा करने के लिये दायी होगी।"।

सन् १९५८ का अधि. क्र. ६० की धारा ७० में संशोधन।

३. स्टाम्प अधिनियम की धारा ७० उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोडी जायेगी, अर्थात,—

"(२) इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क की रकम या किये जानेवाले भत्तों के अवधारण में देय शुल्क सौ रुपयों से अधिक है के संबंध में लिखत के मामले में पचास रुपयों के समान या अधिक सौ रुपयों का किसी भाग, अगले सौ रुपयों के लिये पूर्ण किया जायेगा और पचास रुपयों से कम भाग हिसाब में नहीं लिया जायेगा।"।

सन् १९५८ का ६०की संलग्न अनुसूची एक में संशोधन।

४. स्टाम्प अधिनियम की संलग्न **अनुसूची एक** के,—

(क) अनुच्छेद २५ के **स्पष्टीकरण** एक में द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्,—

"परन्तु यह और कि, जहाँ किसी स्थावर, सम्पत्ति के विक्रय के लिये ऐसे रजिस्ट्रीकृत करार पर उचित शुल्क अदा किया है, जो अभिहस्तांतरण पत्र माना गया है और तत्पश्चात् अभिहस्तांतरण विलेख किसी उपांतरण के बिना निष्पादित है तब ऐसा अभिहस्तांतरण धारा ४ के अधीन अन्य लिखत के रूप में माना जायेगा और सौ रुपये का शुल्क प्रभारित किया जायेगा।" ;

(ख) अनुच्छेद ३६क के खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात,—

"(क) जहाँ इजाजत और लाईसेंस करार नवीकरण खंड से या बिना साठ महिनों से अधिक नहीं ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है, वहाँ,	(एक) करार के अधीन देय लाईसेंस फीस या किराया ; और (दोन) अप्रतिदाय निक्षेप या चाहे किसी भी नाम से कहाँ जाए उसके द्वारा अग्रिम या अग्रिम की जानेवाली राशि या प्रीमियम ; और (तीन) प्रतिदाय सुरक्षा निक्षेप या चाहे किसी भी नाम से कहाँ जाए द्वारा, अग्रिम या अग्रिम की जानेवाली राशि पर प्रतिवर्ष १० प्रतिशत की दर पर परिगणित ब्याज, की कुल राशि के ०.२५ प्रतिशत।"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा २ में (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " उल्लिखित किया गया है),—

(१) खण्ड (१५क) में, " या " शब्द के स्थान में " और " शब्द रखा जायेगा ;

(२) खण्ड (१७क) में, " या " शब्द के स्थान में " और " शब्द रखा जायेगा।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २० में संशोधन।

६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २० की,—

(१) उप-धारा (४) में,—

(क) खंड (ख) में, " पुनरीक्षित विवरणी जुटाना " शब्दों के स्थान में " वर्ष के लिए एकल पुनरीक्षित विवरणी जुट्रना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (ग) में, " उक्त विवरणी में समयावधि के संबंध में पुनरीक्षित विवरणी जुट्राना " शब्दों के स्थान पर " उस वर्ष के लिए एकल पुनरीक्षित विवरणी जुट्राना " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (६) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु यदि ऐसी परिस्थितियाँ उद्भूत होती है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो, राज्य सरकार, समय-समय पर इस उप-धारा के अधीन देय विलंब फीस के संपूर्ण या किसी भाग से, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ब्यौहारिकों ऐसे वर्ग या वर्गों द्वारा, ऐसी अवधि या अवधियाँ के लिए, या तो भविष्यलक्षी रुप से या भूतलक्षी से जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित किया छूट ही जा सकेगी। " ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।

७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २३ की उप-धारा (१) के प्रथम परन्तुक के स्थान में निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात :—

" परन्तु, यदि निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात्, ब्यौहारी, उक्त आदेश से संबंधित अवधि के लिए विवरण प्रस्तुत करना है तब यथा उपर्युक्त पारित आदेश रद्द होगा और ऐसे रद्दकरण के पश्चात्, ब्यौहारी के इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन समान अवधि के संबंध में निर्धारित किया जा सकेगा : "।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३२क में निविष्टि। कतिपय मामलों में कर और ब्याज की अदायगी।

८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३२ के पश्चात, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात :—

" **३२क.** (१) धारा ६१ के अधीन यथा आवश्यक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, यदि आयुक्त के ध्यान में आता है कि, लेखापालने देय रकम या, यथास्थिति, देय ब्याज यदि कोई हो के संबंध में सिफारिश की गई है और ब्यौहारी इस प्रकार की गई सिफारिश पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत करता है, तब उक्त ब्यौहारी को उसके संबंध में आयुक्त द्वारा जारी सूचना के दिनांक से तीस दिनों के भीतर वह रकम अदा करेगा।

(२) धारा ३० की उप-धारा (२) के अधीन यथा उपबंधित ब्याज अदायगी संबंधी उपबंध, इस धारा के अधीन उपबंधित परिस्थितियों में, विवरणी में या, यथास्थिति, पुनरीक्षित विवरणी में यथा प्रकट किये गये उक्त कर की अदायगी के लिए विहित अंतिम दिनांक के पूर्व जो कर अदत्त रोष रहा है उस कर को लागू है वह उसे यथा आवश्यक परिवर्तन समेत लागू होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३२ के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त, जो देय रकम सौ रुपये या उससे कम होगी तो, उसे वसूल नहीं करेगा।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४१ में संशोधन।

९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा (५) में, " मद्य विक्रय " शब्दों के स्थान में " मद्य विक्रीय या, यथास्थिति, अंगूरी शराब " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ५० में संशोधन।

१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (२) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, १ अप्रैल २०१२ को या के बाद प्रारम्भ होनेवाली अवधि के लिए ब्यौहारी जिसका प्रतिदाय का दावा वर्ष में पाँच लाख रुपये या कम है तो, वह ऐसे प्रतिदाय संबंधी सच उत्तरवर्ती वर्ष के लिए विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी का ऐसा प्रतिदाय अग्रेषित करेगा।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ५१ में संशोधन।

११. मूल्यवर्धित कर अधिनियम, की धारा ५१ की, उप-धारा (३) के, खंड (क) में,—

(१) उप-खंड (तीन) में, " या " शब्द के बाद, अंत में, " प्रोत्साहन पैकेज योजना २००१ या, यथास्थिति, प्रोत्साहन पैकेज योजना २००७ के अधीन मेगा युनिट सम्मिलित करने के लिए जारी किये गये पहचान प्रमाणपत्र का धारक ; या " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(२) उप-धारा (पाँच) में, " सेवायें " शब्द के स्थान में, अंत में, " सेवायें ; या " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-खंड (पाँच) के बाद, निम्न उप-खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" (छह) आंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के विषय में मालों का विक्रेय और उक्त आंतरराज्यीय विक्रयों के आवर्तन, सघ पूर्ववर्ती वर्ष में उस वर्ष के लिए विक्रयों के उसके कुल आवर्तन का पचास प्रतिशत।"।

१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१ की, उप-धारा (१) के, **स्पष्टीकरण-एक** में, " इस धारा के प्रयोजनों के लिए " शब्दों के स्थान में, "इस धारा और धारा ३२ क की उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिए," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ।

१३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८२ की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८२ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खंड (ख) में, " या लागत लेखापाल " शब्दों के स्थान में, " लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (घ) के बाद के भाग में, " लागत लेखापाल " शब्दों के बाद, " कम्पनी सचिव " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में,—

(क) " लागत लेखापाल " शब्दों के बाद, " कम्पनी सचिव " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) खंड (दो) में, " या लागत लेखापाल " शब्दों के स्थान में, " लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव " शब्द रखे जायेंगे।

१४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की संलग्न **अनुसूची क** की, प्रविष्टि ३४ के, खंड (ख) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा और १ अप्रैल २००५ से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ कि अनुसूची क में संशोधन।

" (ख) कोई संघटक अन्तर्विष्ट दूध (दुग्ध मेद, दूध पाऊडर या, यथास्थिति घन गैर मेद से अन्य) और ब्रान्ड नाम से बेचा गया दूध।"।

अध्याय चार

महाराष्ट्र लाटरियों पर कर अधिनियम, २००६ में संशोधन।

१५. महाराष्ट्र लाटरियों पर कर अधिनियम, २००६ की धारा ३ की उप-धारा (१) के सारणी में,— सन् २००६ का महा. ४३ की धारा ३ में संशोधन।

(क) स्तंभ (३) की प्रविष्टि १ में, " ५०,००० " अंकों के के लिए " ६०,००० " अंक रखे जायेंगे ;

(ख) स्तंभ (३) की प्रविष्टि २ में, " १,००,००० " अंकों के स्थान में " १,२५,००० " अंक रखे जायेंगे ;

(ग) प्रविष्टि ३ के स्तंभ (३) में, " २,००,००० " अंकों के स्थान में " २,५०,००० " अंक रखे जायेंगे ;

(घ) प्रविष्टि ४ के स्तंभ (३) में, " १०,००,००० " अंकों के स्थान में " १२,००,००० " अंक रखे जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2013.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ मई २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ६ मई २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९६२ का महा. ५।

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाये।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा १५६ का अपमार्जित।

२. (२) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा १५६ अपमार्जित की जायेगी। सन् १९६२ का महा. ५।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2013.

THE MAHARASHTRA PROJECT AFFECTED PERSONS REHABILITATION (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ मई २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PROJECT AFFECTED PERSONS REHABILITATION ACT, 1999.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ६ मई २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, १९९९ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २००१ का महा. ११ ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, १९९९ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता आहे :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

सन् २००१ का महा. ११ की धारा २ में संशोधन ।

सन् २००१ का महा. ११।

२. महाराष्ट्र परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, १९९९ की धारा २ के खण्ड (२) के, उप-खण्ड (क) के, स्पष्टीकरण में,—

(एक) " प्रत्येक भाई " शब्दों के पश्चात् ; " या बहन " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) " एक युनिट के रूप में सभी एक साथ किसी मृतक भाई का पुत्र या पुत्रों " शब्दों के स्थान में , " ऐसे भाई या बहन का एक अलग युनिट के रूप में प्रत्येक मृतक भाई या मृतक बहन का पुत्र या पुत्रों या पुत्री या पुत्रीयाँ " शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2013.

THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' SALARIES AND ALLOWANCES AND THE LEADERS OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ मई २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT AND THE LEADERS OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1978.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ६ मई २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम और महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७८ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, और महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

सन् १९५६ का ४७। सन् १९५६ का ४८ । सन् १९५६ का ४९। सन् १९७८ का महा. ८ ।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता, महाराष्ट्र मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के वेतन तथा भत्ता, और महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

(२) यह १ अप्रैल २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४७ की धारा ८ में संशोधन।

सन् १९५६ का ४७।

२. महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधान सभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) वेतन तथा भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की, धारा ८ की, उप-धारा (२) के,—

(एक) खंड (क) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " रेलवे द्वारा वातानुकुलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५६ का ४७ की धारा १२ख में संशोधन।

३. सभापति तथा उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा १२ख में, " ८,००० रुपये " अंकों और शब्द के स्थान में, " १५,००० रुपये " अंक और शब्द रखे जायेंगे।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४८ की धारा १०ख में संशोधन।

सन् १९५६ का ४८।

४. महाराष्ट्र मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा १०ख की उप-धारा (२) के,—

(एक) खण्ड (क) में, " रेलवे की प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्दों, के स्थान में, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, " रेलवे की प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्दों, के स्थान में जहाँ कहीं वे आये हों, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५६ का ४८ की धारा १०ग में संशोधन।

५. मंत्रीयों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा १०ग में, " ८,००० रुपये " अंक और शब्द के स्थान में, " १५,००० रुपये " अंक और शब्द रखे जायेंगे।

अध्याय चार

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ५ में संशोधन।

सन् १९५६ का ४९।

६. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में " सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५, की उप-धारा (१क) में, " **स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण एक** के रूप में पुनःक्रमांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःक्रमांकित **स्पष्टीकरण एक** के बाद, निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" स्पष्टीकरण (दो).— जहाँ कोई सदस्य, हवाई मार्ग द्वारा उसके साथी या जीवनसाथी के साथ यात्रा करता है तो हर एक एकल यात्रा के लिए इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए दो एकल यात्रा की गणना होगी । " ।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ५क ग में संशोधन।

७. सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ५क ग, की उप-धारा (२) के,—

(एक) खण्ड (क) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों के स्थान में, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्दों, के स्थान में जहाँ कहीं वे आये हों, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ६ में संशोधन।

८. सदस्यों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ६, की उप-धारा (३) में, " ८,००० रुपये " अंक और शब्द के स्थान में, " १५,००० रुपये " अंक और शब्द रखे जायेंगे।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७८ में संशोधन।

सन् १९७८ का महा. ८ की धारा ७ में संशोधन।

९. महाराष्ट्र विधानमंडल में विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७८ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम " कहा गया है), की धारा ७ की उप-धारा (२) के,— सन् १९७८ का महा. ८।

(एक) खंड (क) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्दों, के स्थान में, दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) में, " रेलवे के प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा " शब्दों, के स्थान में, जहाँ कहीं वे आये हों, " रेलवे द्वारा वातानुकूलित द्वयशायिका द्वारा यात्रा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७८ का महा. ८ की धारा १०क में संशोधन।

१०. विरोधी दल नेताओं के वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा १०क में, " ८,००० रुपये " अंक और शब्द के स्थान में, " १५,००० रुपये " अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2013.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३१ जुलै २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2013.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक १ अगस्त २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च २०१४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कुछ अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने ; और उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किये जाये ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१३ कहलाए।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिए, ८० अरब, ६० करोड़ ३९ लाख, ३४ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में विनिर्दिष्ट रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर अस्सी अरब, साठ करोड़, उनतालीस लाख, चौंतिस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट कार्यों तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के दौरान अदायगी के प्रक्रम में आनेवाले प्रभारों को चुकाने में होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग। **३.** इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोजित किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्रि परिषद।	...	...	८६,४५,०००	८६,४५,०००
ए-२	निर्वाचन।	. . २०१५, निर्वाचन।	. .	४१,३२,४६,०००	...	४१,३२,४६,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	. . २०५१, लोक सेवा आयोग ।	. .	...	८,८७,८६,०००	८,८७,८६,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। . . २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१,०६,०७,०३,०००	...	१,०६,०७,०३,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	. .	२१,२८,०००	...	२१,२८,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	. . २२२०, सूचना तथा प्रचार।	. .	९,७०,१६,०००	...	९,७०,१६,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	. .	१,५७,३०,९३,०००	९,७४,३१,०००	१,६७,०५,२४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृह विभाग।				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	१,५८,५७,११,०००	...	१,५८,५७,११,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अन्तरराज्यीय जल परिवहन।	. .	७,७३,८८,०००	...	७,७३,८८,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१,०००	...	१,०००
बी-५	जेल।	. . २०५६, जेल।	. .	४,२४,००,०००	...	४,२४,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	१,७०,५५,००,०००	...	१,७०,५५,००,०००
		राजस्व तथा वन विभाग।				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	३५,५०,९६,०००	...	३५,५०,९६,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन।	. . २०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	. .	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००

सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	१,२५,४६,०००	...	१,२५,४६,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	.. २२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	११,७९,२७,४२,०००	...	११,७९,२७,४२,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	१२,४१,०३,८४,०००	...	१२,४१,०३,८४,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	७,९६,१३,१८,०००	...	७,९६,१३,१८,०००
डी-४	पशुपालन।	.. २४०३, पशुपालन।	..	१,९६,४६,०००	...	१,९६,४६,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	.. २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	..	९,७९,७०,०००	...	९,७९,७०,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	.. २४०५, मत्स्य उद्योग।		१९,६०,००,०००	...	१९,६०,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	८,२७,४९,३४,०००	...	८,२७,४९,३४,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१२,०८,१६,०००	...	१२,०८,१६,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	..	१८,४८,७०,०००	...	१८,४८,७०,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	..	३०,५६,८६,०००	...	३०,५६,८६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		नगरविकास विभाग।			
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल। . .	१,७६,०१,५९,०००	...	१,७६,०१,५९,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ। . .	१,८१,००,०००	...	१,८१,००,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३,०८,२७,००,०००	...	३,०८,२७,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग। . .	४,८६,०९,५९,०००	...	४,८६,०९,५९,०००
		वित्त विभाग			
जी-४	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. . २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। . .	४०,००,०००	...	४०,००,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. . २०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन। . .	४०,०००	...	४०,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	. . २०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। . .	३,००,००,००,०००	...	३,००,००,००,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. . २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	७०,००,०००	...	७०,००,०००
		कुल—वित्त विभाग। . .	३,०१,१०,४०,०००	...	३,०१,१०,४०,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग			
एच-३,	आवास।	. . २२१६, आवास। . .	६०,७३,००,०००	...	६०,७३,००,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन्य तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमामन। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। . .	५०,००,०००	...	५०,००,०००

एच-५	सड़क तथा पुल।	. . ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	५२,९२,३७,०००	...	५२,९२,३७,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।	. .	७८,३९,६४,०००	...	७८,३९,६४,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	१,९२,५५,०१,०००	...	१,९२,५५,०१,०००
		जलस्रोत विभाग।				
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।	. .	१,२७,००,००,०००	...	१,२७,००,००,०००
आय-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,००,००,०००	...	१,००,००,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	१,२८,००,००,०००	...	१,२८,००,००,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।				
जे-१	न्याय प्रशासन।	. . २०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१,०१,१७,०००	६,८६,९७,०००	७,८८,१४,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१,०१,१८,०००	६,८६,९७,०००	७,८८,१५,०००

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
के-४	श्रम तथा नियोजन।	. . २२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	२२,६०,०००	...	२२,६०,०००
के-८	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,०००	...	१,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	२२,६१,०००	...	२२,६१,०००
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।				
एल-२	जिला प्रशासन।	. . २०५३, जला प्रशासन।	. .	८,३८,३६,०००	...	८,३८,३६,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	८७,०५,४९,०००	...	८७,०५,४९,०००
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	२४,००,०००	...	२४,००,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,५०,००,०००	...	१,५०,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	९७,१७,८५,०००	...	९७,१७,८५,०००

	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।					
एम-२	खाद्य।	. . २४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	२१,८८,००,०००	...	२१,८८,००,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१५,९०,०००	...	१५,९०,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	२२,०३,९०,०००	...	२२,०३,९०,०००
	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।					
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३,०८,४२,१३,०००	...	३,०८,४२,१३,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	३,०८,४२,१३,०००	...	३,०८,४२,१३,०००
	योजना विभाग।					
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,२०,००,०००	...	१,२०,००,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. . ३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	८,४७,९६,०००	...	८,४७,९६,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१७	जिला योजना - रायगड।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२४,८६,००,०००	...	२४,८६,००,०००
			कुल—योजना विभाग। . .	३४,५३,९६,०००	...	३४,५३,९६,०००
		संसदीय कार्य विभाग।				
पी-१	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
			कुल—संसदीय कार्य विभाग। . .	१,०००	. . . .	१,०००
		आवास विभाग।				
क्यू-३	आवास।	२२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,३७,०१,४५,०००	...	२,३७,०१,४५,०००
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	९,६०,०००	...	९,६०,०००
			कुल—आवास विभाग। . .	२,३७,११,०५,०००	...	२,३७,११,०५,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	९७,६९,००,०००	...	९७,६९,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	९७,६९,००,०००	...	९७,६९,००,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	८७,४०,७६,०००	...	८७,४०,७६,०००
एस-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. . २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,००,०००	...	१,००,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	८७,४१,७६,०००	...	८७,४१,७६,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-४	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. . २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म ।	. .	६,००,०००	. . .	६,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२४०३, पशुपालन ।	. .	४४,७१,२६,०००	...	४४,७१,२६,०००
		२४०५, मत्स्योद्योग ।				
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।				
		२४२५, सहकारिता ।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५०५, ग्राम नियोजन ।				
		२७०२, लघु सिंचाई ।				
		२८०१, विद्युत ।				
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल ।				
		३०५५, सड़क परिवहन।				
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	४४,७७,२६,०००	...	४४,७७,२६,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।				
वी-२	सहकारिता।	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।	. .	१,२५,००,०००	...	१,२५,००,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		२८५२, उद्योग।				
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५६, सिविल आपूर्ति ।				
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१,२५,००,०००	...	१,२५,००,०००

		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।			
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	. . २२०२, सामान्य शिक्षा। . .	७,७९,७७,६०,०००	...	७,७९,७७,६०,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	. . २२०३, तकनीकी शिक्षा। . .	१५,८८,१५,०००	१४,०९,०००	१६,०२,२४,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति। २२३०, श्रम तथा नियोजन। . .	४३,८४,०००	...	४३,८४,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग . .	७,९६,०९,५९,०००	१४,०९,०००	७,९६,२३,६८,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग।			
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। . .	८३,५१,०००	...	८३,५१,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग। . .	८३,५१,०००	...	८३,५१,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।			
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. . २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। . .	२,५०,०००	...	२,५०,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग। . .	२,५०,०००	...	२,५०,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।			
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	. . २२०५, कला तथा संस्कृति । . .	६,६१,४९,०००	...	६,६१,४९,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	. . ३४५२,पर्यटन। . .	२२,१६,००,०००	...	२२,१६,००,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग। . .	२८,७७,४९,०००	...	२८,७७,४९,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग।			
जेड ङ -१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग। . .	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	५३,१७,०९,७७,०००	१६,७५,३७,०००	५३,३३,८५,१४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग।				
ए-८क	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	. .	५,९१,००,०००	...	५,९१,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	. .	५,९१,००,०००	...	५,९१,००,०००
		गृह विभाग।				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,७२,२८,००,०००	...	१,७२,२८,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	१,७२,२८,००,०००	...	१,७२,२८,००,०००
		नगर विकास विभाग।				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	३,५७,५२,००,०००	...	३,५७,५२,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	३,५७,५२,००,०००	...	३,५७,५२,००,०००
		वित्त विभाग।				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग।				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		७,०८,७४,९२,०००	...	७,०८,७४,९२,०००

एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५२,२४,७५,०००	...	५२,२४,७५,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	७,६०,९९,६८,०००	...	७,६०,९९,६८,०००
		जलस्रोत विभाग।				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,१३,५०,०१,०००	...	७,१३,५०,०१,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	७,१३,५०,०१,०००	...	७,१३,५०,०१,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८७५, उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	. .	१,२३,११,००,०००	...	१,२३,११,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	१,२३,११,००,०००	...	१,२३,११,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	५१,००,००,०००	...	५१,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	५१,००,००,०००	...	५१,००,००,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, गृहनिर्माण के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	८,०४,००,०००	...	८,०४,००,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	८,०४,००,०००	...	८,०४,००,०००
		योजना विभाग।				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७०,१४,३५,०००	...	७०,१४,३५,०००
ओ-११	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४५५१, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	२,००,००,०००	...	२,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	. .	१,४७,६३,००,०००	...	१,४७,६३,००,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	२,१९,७७,३५,०००	...	२,१९,७७,३५,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग।				
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,१९,१३,४०,०००	...	१,१९,१३,४०,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग ।	. .	१,१९,१३,४०,०००	...	१,१९,१३,४०,०००

		जनजाति विकास विभाग।			
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. . १,०९,०७,८४,०००	...	१,०९,०७,८४,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग। . .	१,०९,०७,८४,०००	...	१,०९,०७,८४,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग।			
जेड़ ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर । पंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पंजीगत परिव्यय।	५०,००,००,०००	...	५०,००,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग । . .	५०,००,००,०००	...	५०,००,००,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		मराठी भाषा विभाग।			
जेड़ च-३क लोकनिर्माण कार्योंपर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्योंपर पूंजीगत परिव्यय ।	११,१९,९२,०००	...	११,१९,९२,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग। . .	११,१९,९२,०००	...	११,१९,९२,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय। . .	२७,२६,५४,२०,०००	...	२७,२६,५४,२०,०००
		कुलयोग। . .	८०,४३,६३,९७,०००	१६,७५,३७,०००	८०,६०,३९,३४,०००

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ अगस्त २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) ACT, 1983.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ७ अगस्त २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** (संशोधन) अध्यादेश, २०१३, १ जुलाई २०१३ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९८३ का महा. ४१। सन २०१३ का महा. अध्या. क्र. १०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनयम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

(२) यह १ जुलाई २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९८३ का महा. ४१। सन् १९८३ का महा. ४१ की अनुसूची में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची की प्रविष्टि ३ के, स्तंभ (२) में, " मराठवाडा **कृषि विद्यापीठ**। " शब्दों के स्थान में, " वसंतराव नाईक मराठवाडा **कृषि विद्यापीठ।** " शब्द रखे जायेंगे।

किसी अधिनियमिति या लिखतों आदि में मराठवाडा **कृषि विद्यापीठ** के सन्दर्भ का अर्थान्वयन ।

३. इस अधिनियम के प्रारम्भण पर, किसी अन्य अधिनियमिति या नियमों, विनियमों, उप-विधियों, अधिसूचनाओं या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी आदेशों में या अपने मूल नाम के अधीन किसी लिखत, दस्तावेज या कार्यवाहियों में " मराठवाडा **कृषि विद्यापीठ** " का कोई सन्दर्भ जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो " वसंतराव नाईक मराठवाडा **कृषि विद्यापीठ** " का सन्दर्भ समझा जायेगा और अर्थ लगाया जायेगा "।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १० का निरसन और व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १०।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थित, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2013.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ अगस्त २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ७ अगस्त २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९९४ का महा. ३५।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१३, ३० मई २०१३ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अब इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ८।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

(२) यह ३० मई २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा १३ में संशोधन।

सन् १९९४ का महा. ३५ ।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा १३ की उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) प्रति-कुलपति की पदावधि, कुलपति की पदावधि से सहविस्तारी होगी या उसकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो, रहेगी । " ।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ८ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ८।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2013.

THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९६२ का महा. ३।

संक्षिप्त नाम। (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

सन् १९६२ का महा. ३ में धारा ४३-१ख की निविष्टि। **२.** महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ की धारा ४३-१क के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ३।

एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र। " **४३-१ख.** राज्य सरकार के सामान्य या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अध्यधीन, निगम किसी औद्योगिक क्षेत्र को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकेगी ; जिसमें कुल क्षेत्र के कम से कम साठ प्रतिशत क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिये और शेष, प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुसार निवासी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों समेत समर्थन करनेवाले क्रियाकलापों के लिये उपयोग में लाया जायेगा ; और ऐसी अधिसूचना पर, निगम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के अधीन ऐसे एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र के लिये विशेष योजना प्राधिकरण होगा और ऐसे एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र का विकास, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के सुसंगत उपबंधों के अधीन, निगम द्वारा तैयार किये गये और राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये योजना प्रस्तावों और विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार, विनियमित किया जायेगा। "। सन् १९६६ का महा. ३७। सन् १९६६ का महा. ३७।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2013.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक १३ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यामान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१३, १४ फरवरी २०१३ को प्रख्यापित किया गया था और तत्पश्चात् महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, २५ फरवरी, २०१३ को प्रख्यापित किया गया था ;

१९६१ महा. २४।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. २।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अब इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है ;

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ६।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

(१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाये।

(२) यह १४ फरवरी, २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

१९६१ का महा. २४।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया था) की धारा २ के,—

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

(क) खण्ड (२) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (२-क) " प्राधिकृत व्यक्ति " का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक्तया प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है ; ";

(ख) खण्ड (७) में, " या अन्य निदेशित निकाय, चाहे किसी भी नाम से संबोधित हो, जिसमें संस्था के प्रबंधक कार्यकलाप विहित है " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" या सहकारी संस्था के शासी निकाय या अन्य निदेशित निकाय, चाहे किसी भी नाम से संबोधित हो, जिसमें संस्था के प्रबंधक कार्यकलाप न्यस्त किये गये है ";

(ग) खण्ड (१०-ख) अपमार्जित किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (११) के पश्चात् निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (११-क) " विशेषज्ञ निदेशक " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसे बैंककारी, प्रबंधमंडल, सहकार और वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो संबंधित संस्था द्वारा उपक्रमित उद्देश्यों और कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखनेवाला हो ; ";

(ङ) खण्ड (१४) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१४-क) " कार्यात्मक निदेशक " का तात्पर्य, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो से है और इसमें समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित संस्था का, कोई विभाग प्रमुख, मान्यताप्राप्त युनियन का मजदूर या प्रतिनिधि शामिल होगा ; ";

(च) खण्ड (१९) में,—

(एक) खण्ड (क) में, " साझेदार या समर्थक " शब्दों के स्थान में, " या साझेदार " शब्द रखा जायेगा ;

(दो) उप-खण्ड (क) के पश्चात, निम्न उप-खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) " सक्रिय सदस्य " का तात्पर्य, सदस्य संस्था के कार्यकलापों जो में भाग लेता है और विधि द्वारा विनिर्दिष्ट की गई उस संस्था के सेवाओं या उत्पादों का न्यूनतम स्तर पर उपयोग करता है "।

(तीन) उप-खण्ड (घ) अपमार्जित किया जायेगा ;

(छ) खण्ड (२०) में, " सभापति, उप-सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य और कोई अन्य व्यक्ति " शब्दों के स्थान में निम्न शब्द रखे जायेंगे :—

" कोई पदधारी जो सभापति है, उप-सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य और अन्य कोई व्यक्ति, चाहे जिस भी नाम से बुलाया गया हो, " ;

(ज) खण्ड (२७) में, " इस अधिनियम के अधीन " शब्दों के पश्चात्, निम्न शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

" जो व्यक्तियों की स्वायत्त संघ, सामान्य आवश्यकताओं के लिए स्वेच्छा से इकठ्ठा है और संयुक्त स्वामित्व अभिलाषी विचार और लोकतान्त्रिक नियंत्रित उद्यम और सहकारिता तत्वों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं, " ;

(झ) खण्ड (२९) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (२९-क) " राज्य सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण " का तात्पर्य, धारा ७३ **गख** के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण से है ; " ;

३. मूल अधिनियम की धारा ३-क के खण्ड (क) में, " निबन्धक के मामले में " शब्दों के पश्चात्, " विशेष " शब्द निविष्ट किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ३क में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) में, द्वितीय परन्तुक के बाद, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ६ में संशोधन।

" परन्तु यह और भी कि, संस्थाओं के पंजीकरण या संस्थाओं के दर्जा के लिए निबन्धक द्वारा मानक और शर्ते विशेष रुप से विनिर्दिष्ट की जायेगी "।

५. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उप-धारा (१) को परन्तुक अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १३ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " ऐसी संस्था " शब्दों के बाद, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" या किसी उप-विधियों द्वारा संस्था, इस अधिनियम के उपबंधो के साथ असंगत न हो ऐसे, नियम और वह संशोधन करना ऐसे उप-विधियों द्वारा आवश्यक है, " ;

(ख) उप-धारा (२) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु ऐसी अधिसूचित राज्य परिसंघीय संस्था, अपनी राय संप्रेषण की प्राप्ति के पैतालिस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा, ऐसा करने से विफल रहने पर यह मान लिया जायेगा कि, ऐसी राज्य परिसंघीय संस्था को संशोधन करने के लिए आपत्ति नहीं है और रजिस्ट्रार तद्नुसार अतिरिक्त कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्रकार की संस्था या वर्गों के लिये रजिस्ट्रार विधि द्वारा आदर्श निर्दिष्ट करेगा जैसा वह उचित समझे । "।

७. मूल अधिनियम की धारा १७ की, उप-धारा (१) में, परन्तुक के बाद, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १७ में संशोधन।

परन्तु यह और भी कि, संस्थाएँ बेंकिंग व्यवहार करने के मामले में ऐसा समामेलन, अंतरण, विभाजन या संपरिवर्तन, रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा " ।

८. मूल अधिनियम की धारा १८ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में,—

(१) " लोकहित में " शब्दों के बाद, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" या ऐसी संस्थाओं के सदस्यों के हित में ; "

(२) निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, ऐसी अधिसूचित राज्य परिसंघीय संस्था अपनी राय रजिस्ट्रार संप्रेषण प्राप्ति के पैतालिस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा, ऐसा करने से विफल रहने पर यह मान लिया जायेगा कि, ऐसी राज्य परिसंघीय संस्था को समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन करने के लिए आपत्ति नहीं हैं और रजिस्ट्रार तद्नुसार अतिरिक्त कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ; " ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी के लिए, निम्न पार्श्व टिप्पणी रखी जायेगा, अर्थात् :—

" समामेलित, विभाजन और पुनर्गठन की शक्ति सार्वजनिक लोकहित में या सदस्यों के हित में, आदि " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १८क में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १८क में,—

(क) उपधारा के (१) में निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, यह और कि, ऐसी अधिसूचित राज्य परिसंघीय संस्था या अन्य प्राधिकरण अपनी राय रजिस्ट्रार को संप्रेषण प्राप्ति के पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा, ऐसा करने से विफल रहने पर यह मान लिया जायेगा कि, ऐसी राज्य परिसंघीय संस्था को योजना के समामेलन के लिए आपत्ति नहीं है और रजिस्ट्रार तद्नुसार, अगली कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा '' ;

(ख) उप-धारा (२) में, खण्ड (ख) के बाद, निम्न खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'' (ग) रजिस्ट्रार रिझर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । '' ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १८ख में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा १८ख की उप-धारा (१) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, यह और कि, ऐसी अधिसूचित राज्य परिसंघीय संस्था या अन्य प्राधिकरण अपनी राय रजिस्ट्रार को संप्रेषण प्राप्ति के पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा, ऐसा करने से विफल रहने पर यह मान लिया जायेगा कि, ऐसी राज्य परिसंघीय संस्था को आपत्ति नहीं है और रजिस्ट्रार तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा । '' ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १८ग में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा १८ग की, उप-धारा (२) में,—

(क) खण्ड (ङ) में, '' प्रशासक नियुक्ति या प्रबंधन की अंतरिम समिति का '' शब्दों के स्थान में निम्न, परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

'' किसी प्राधिकृत अधिकारी या प्रबंधन की अंतरिम समिति इनमें से उस संस्था के क्रियाशील सदस्यों की नियुक्ति '' ;

(ख) दोनों परन्तुक को अपमार्जित किये जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २३ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा २३ की उप-धारा (२) में, '' रजिस्ट्रार को अपील करना '' शब्दों के बाद निम्न, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

'' संस्था के निर्णय के बाद, साठ दिनों की अवधि के भीतर । '' ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २४ में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा २४ में,—

(क) उप-धारा (१) में, '' नाममात्र साझेदार या समर्थक सदस्य '' शब्दों के स्थान में '' नाममात्र या साझेदार सदस्य '' रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, '' या समर्थक सदस्य '' और "या समर्थक" शब्दों को अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्व टिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात् :—

'' नाममात्र और साझेदार सदस्य । '' ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २४क में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा २४ के बाद, निम्न धारा को निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण सदस्यों, आदि के लिए।

'' **२४क.** (१) प्रत्येक संस्था अपने सदस्य, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राज्य परिसंघीय संस्था या राज्य की संलग्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, सहकारिता, शिक्षा और प्रशिक्षण का आयोजन करेगी । ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा—

(एक) संस्था के व्यवस्थापकीय सदस्यों की प्रभावी और क्रियाशील साझेदारी सुनिश्चित होगी ।

(दो) नेतृत्व स्थान के लिए निपुणता प्राप्त कर्मचारी बनेंगे ।

(तीन) सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा व्यावसायिक कौशल्य का विकास होगा ।

(२) समिति का प्रत्येक सदस्य, जो चयनीत या सहयोजित हो, सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण का अनुभव अवधि पर और ऐसे अंतराल पर जैसा कि विहित किया जायेगा ।

(३) प्रत्येक संस्था, राज्य परिसंघीय संस्थाओं या राज्य संलग्न प्रशिक्षण संस्था के लिए उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचित, शिक्षा और प्रशिक्षण निधि के लिए, विहित किये जाये ऐसे दरों पर वार्षिक अभिदाय करेगी और भिन्न दर जो भिन्न संस्थाओं के लिए या संस्थाओं के वर्गों के लिए विहित किये जायेंगे ।''।

१५. मूल अधिनियम की धारा २६ के लिए, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २६ में प्रतिस्थापन।

सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य।

"२६. (१) सदस्य, अधिनियम, नियमों और उप विधीयो में यथा उपबंधित ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनेगे :

परंतु, जब तक कोई सदस्य संस्था के संदर्भ में सदस्यता शुल्क का भुगतान नही करता या संस्था के हित में अर्जित नही करेगा जैसा कि समय-समय पर संस्था की उप-विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट और नियमों द्वारा विहित किया गया है :

परंतु, यह और भी कि, सदस्य के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, शेयर पूंजी में सदस्य के अभिदान को बढावा देने के मामले में संस्था द्वारा सदस्यों को यथोचित माँग की सूचना दी जायेगी और उसके अनुपालन के लिए पर्याप्त समयावधि दिया जायेगा ।

(२) संस्था के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य रहेगा,—

(क) पाँच वर्षों की समयावधि में लगातार होनेवाली किसी एक साधारण निकाय सभा को उपस्थित रहना :

परंतु, इस खण्ड की कोई भी बात अनुपस्थित सदस्य, संस्था के साधारण निकाय द्वारा अपमार्जन के लिए लागू नहीं होगी।

(ख) संस्था के उप-विधि में विनिर्दिष्टानुसार पाँच वर्षों की लगातार समयावधि में कम से कम न्यूनतम स्तर में सेवाओं का उपयोग करना :

परंतु यह कि, वह सदस्य जो उपरोल्लेखित कम से कम एक सामान्य निकाय सभा को अनुपस्थित रहता है और पाँच वर्षों की समायवधि में लगातार कम से कम एक बार न्यूनतम स्तर में सेवाओं का उपयोग नही करता जैसा की उस संस्था की विधि मे निहित है, को अक्रियाशील सदस्य में वर्गीकृत किया जायेगा :

परंतु यह और भी कि, जब संस्था किसी सदस्य को अक्रियाशील सदस्य के रूप में वर्गीकृत करती है, तब वह संस्था वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के तीस दिनों के अंदर संबंधित सदस्य को ऐसे वर्गीकरण के बारे में विहित रित्या से संसूचित करेगी :

परंतु, यह और भी की, अक्रियाशील सदस्य को उसके वर्गीकरण करने की दिनांक से आगे की अक्रियाशील सदस्य जो कम से कम एक सामान्य निकाय सभा को अनुपस्थित रहा और उप-विधि में विनिर्दिष्टानुसार न्यूनतम स्तर में सेवाओं का उपयोग नहीं किया, ऐसे अक्रियाशील सदस्य उसके वर्गीकरण की दिनांक से आगे की पाँच वर्षों में धारा ३५ के अधीन निष्कासन के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और भी कि, अक्रियाशील सदस्य के रूप में वर्गीकृत किये गये सदस्य ने इस उप-धारा में उपबंधित पात्रता निकषों की पूर्तता करने के बाद वह क्रियाशील सदस्य के रूप में उसके पुन:वर्गीकरण किये जाने का हकदार रहेगा :

परंतु यह और भी कि, कोई सदस्य यदि किसी के क्रियाशील और अक्रियाशील सदस्य के संदर्भ में विवाद उपस्थित होने पर उसे वर्गीकृत करने की सुचना देने की दिनांक से साठ दिनों की समयावधि के भीतर निबंधक के पास उस संदर्भ में अपील किया जायेगा :

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १६।

परंतु यह भी कि, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारंभण के बाद, तत्काल आयोजित किसी निर्वाचन में, संस्था के समस्त विद्यमान सदस्य, जब तक कि अन्यथा मत देने हेतु अपात्र नहीं होते हैं, तब तक मत देने के लिए पात्र होंगे । ''।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २७ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा २७ की,—

(क) उप-धारा (१) में, प्रथम परंतुक के बाद, निम्न स्पष्टीकरण निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, '' पॅनल से एक से अधिक उम्मीदवार के मतों को '' एक मत समझा जायेगा ;

(ख) उप-धारा (१) के बाद, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

'' (१क) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्रिय सदस्य जो संस्था के कामकाज में भाग लेने में और उप-विधियों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर पर सेवा देने में पश्चातवर्ती रुप से समय-समय पर विफल रहता है तो वह सक्रिय सदस्य के रूप में परिविरत होगा और उसे मत देने का हक नहीं होगा ''। ;

(ग) उप-धारा (३) में, '' उसमें से एक नियुक्त '' शब्दों के स्थान में '' सक्रिय '' शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(ग-१) उप-धारा (३क) में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, सहकारी गृह-निर्माण संस्था और सहकारी परिसर संस्था के संबंध में इस उप-धारा में कोई भी बात लागू नहीं होगी।

(घ) उप-धारा (८) में, '' या समर्थक '' शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(ङ) उप-धारा (१०) में, '' के मामले में '' शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और '' संस्था के '' शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग में, निम्न भाग रखा जायेगा, अर्थात् :—

'' यदि सदस्य ने संस्था से कर्ज लिया है, तो ऐसा सदस्य, जब कभी धारा ७३गक की उप-धारा (१) के खण्ड (एक) के **स्पष्टीकरण** में यथा उपबंधित चूककर्ता है तो उसे संस्था के कामकाज में मत देने का अधिकार नहीं होगा । '' ;

(च) उप-धारा (१२) अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ४३ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा ४३ में,—

(क) उप-धारा (१) के, परंतुक में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्शिका '' शब्दों के स्थान में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की संदर्शिका '' शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) प्रथम परंतुक में, '' शेयर पूंजी कर्ज '' शब्दों के स्थान में, '' सहायता '' शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(दो) द्वितीय परंतुक में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्शिका '' शब्दों के स्थान में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की संदर्शिका '' शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ४४ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ४४ की, उप-धारा (३) के, द्वितीय परंतुक में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्शिका '' शब्दों के स्थान में, '' भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की संदर्शिका '' शब्द रखे जायेंगे ।

१९. मूल अधिनियम की धारा ४४क में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ४४-क में संशोधन।

(क) " तीन हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " दस हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ।

(ख) " या व्यापारिक " शब्दों को अपमार्जित किया जायेगा ।

२०. मूल अधिनियम की धारा ६२ के (ग) खंड़ में, " संस्था के " शब्दों के बाद " सहकारी क्रेडिट संरचना इकाई समेत " शब्द निविष्ट किए जाएँगे। सन् १९६१ का महा. ६२ की धारा २४ में संशोधन।

२१. मूल अधिनियम की धारा ६८ में उप-धारा (३) के बाद निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी अर्थात् :—

" (४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ की उप-धारा (१) से (३) के उपबंध इसके प्रारम्भ के दिनांक से अपने प्रभाव से परिवरित हो जाएँगे। "

(५) उपबंध (४) में या इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारम्भ के दिनांक को कोई भी देय रकम भू-राजस्व बकाया रकम के रूप में वसुलीय हो और राज्य संघीय संस्था के ऐसे रकम की वसुली के अनुरोध पर, निबंधक जो उसे उचित जाँच समझता है वह करने के बाद, भू-राजस्व बकाया रकम के रूप में देय रकम वसूल करने के लिए प्रमाणपत्र देगा।

२२. मूल अधिनियम की धारा ६९ में, " धारा ६८ में यथा उपबंधित शिक्षा निधि " शब्दों तथा अक्षरों के स्थान में, " धारा २४क में यथा उपबंधित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए निधि " रखे जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४क की धारा ६९ में संशोधन।

२३. मूल अधिनियम की धारा ६९-क अपमार्जित की जायेगी । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ६९-क का अपमार्जिन।

२४. मूल अधिनियम की धारा ७० में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७० में संशोधन।

(क) " सहकारी साख संरचना इकाई से अन्य प्रत्येक संस्था " शब्दों के स्थान में, " संस्था " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, या राज्य सहकारी बैंक, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में " क " लेखा वर्ग प्राप्त किया है ; ";

(ग) खण्ड (ग) के बाद, प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) इस निमित्त, नियमों द्वारा या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्त किसी अन्य ढंग में । "।

२५. मूल अधिनियम की धारा ७१क की, उप-धारा (१) में, " धाराएँ ७८, ९६ या १४४-न के अधीन " शब्द, अंक तथा अक्षर के स्थान में, " धाराएँ ७८, ७८क या ९६ के अधीन " शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७१-क में संशोधन।

२६. मूल अधिनियम की धारा ७३ की,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१क-ख) में,—

(एक) " प्रत्येक ऐसा सदस्य " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " समिति का " शब्दों से समाप्त होनेवाला भाग अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) द्वितीय परंतुक में, " उक्त संकल्प या निर्णय के दिनांक से सात दिनों के भीतर " शब्दों के स्थान में, " उक्त संकल्प या निर्णय के दिनांक से या उक्त संकल्प या निर्णय के पुष्टिकरण के दिनांक से, पंद्रह दिनों के भीतर " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धाराएँ (२) और (३) अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३-१क, ७३-१ख और ७३-१ग का अपमार्जन।

२७. मूल अधिनियम की धाराएँ ७३-१क, ७३-१ख और ७३-१ग को अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३-१घ में संशोधन।

२८. मूल अधिनियम की धारा ७३-१घ में, उप-धाराएँ (१) और (२) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१) कोई अधिकारी, जो उस पद के उसके निर्वाचन के आधार पर पद धारण करता है, तो ऐसा अधिकारी परिविरत हो जायेगा, यदि ऐसे अधिकारी और उसके पद के निर्वाचन पर मत देने के जो हकदार है ऐसे समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा समिति की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो तत्पश्चात् वह रिक्त समझा जायेगा ।

(२) ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा जो समिति के अधिकारी को निर्वाचित करने के जो हकदार है, ऐसे समिति के सदस्यों की कुल संख्या से एक-तिहाई से कम न हो उनके द्वारा की जायेगी और रजिस्ट्रार को इसकी प्रस्तुति की जायेगी । अध्यपेक्षा, विहित किये जाये ऐसे प्रारुप में और ऐसे रीत्या में की जायेगी :

परंतु, विशेष बैठक के लिए ऐसी कोई अध्यपेक्षा, उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं की जायेगी जिस पर उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी उसके पद पर प्रविष्ट होता है ।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३क में संशोधन।

२९. मूल अधिनियम की धारा ७३-क की,—

(क) उप-धारा (१) में, " और धाराएँ ७३ग, ७३घ और ७३ङ " शब्द, अंक तथा अक्षर अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) " निर्वाचित या नियुक्त " शब्दों के स्थान में, " निर्वाचित, सहयोजित या नामित " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " निर्वाचन या नियुक्तियाँ " शब्दों के स्थान में, "निर्वाचन, सहयोजित या नामित " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " पुनर्निर्वाचित या पुनर्नियुक्त " शब्दों के स्थान में, " पुनर्नियुक्त, पुनःसहयोजित या पुनर्नामित " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (६) अपमार्जित की जायेगी, अर्थात् :—

(घ) उप-धारा (६) के बाद, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

" (७) केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या किन्हीं निगमित निकाय या किसी भी संघटन के अधीन पद धारण करने के उसके आधार पर किसी संस्था के सदस्य के रूप मे जहाँ कोई व्यक्ति निर्वाचित, सहयोजित या नामित किया जाता है तो वह उस दिनांक को ऐसे सदस्य के रूप में परिविरत होगा, जिस दिनांक से उसने ऐसा पद धारण किया है उससे परिविरत होगा ।

(८) संस्था का कोई भी सदस्य, जो किसी अन्य संस्था पर प्रतिनिधित्व करता है तो वह अन्य संस्था के पदाभिहित अधिकारी के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि अन्य संस्था उसकी परिसंघीय संस्था नहीं है ।

(९) राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी संस्थाओं के वर्ग या वर्गों के मामले में, कोई सदस्य, पदाभिहित अधिकारी के रूप मे निर्वाचित, सहयोजित या नामित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि सक्रिय सदस्य नहीं है और वह ऐसी अधिसूचना में समय-समय अधिकथित की जाये ऐसी आर्थिक सीमाओं में संस्था के साथ उसके संव्यवहारों से संबंधित न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण नहीं करता है । ''।

३०. मूल अधिनियम की धारा ७३-क के बाद, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ में धारा ७३ककक की निविष्टि।

'' **७३ककक.** (१) समिति, उपविधियों में उपबंधित किये जाये ऐसे सदस्यों की संख्या से बनेगी : समितियों का गठन।

परंतु, समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी :

सन् १९४९ का १०। परंतु, बैंकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ के उपबंध, बैंकिंग व्यवहार करनेवाली सभी संस्थाओं को लागू होंगे ।

(२) समिति, संस्था द्वारा हाथ में लिये गये उद्देश्यों और क्रियाकलापों से संबंधित '' विशेषज्ञ निदेशकों '' को सहयोजित करेगी :

परंतु, उप-धारा (१) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट समिति में अधिकतम सदस्यों के अतिरिक्त, विशेषज्ञ निदेशकों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु, आगे यह कि समिति सत्रह सदस्यों से न्यूनतमवाली समिति के मामले में एक व्यक्ति को क्रियाशील निदेशक के रूप में नामित करेगी और सत्रह सदस्यों से अधिक और इक्कीस सदस्यों से न्यूनतमवाले सदस्यों की समितियों के मामले में समिति दो से अधिक क्रियाशील को नामित करेगी :

परन्तु, यह भी कि, शासन की शेयर पूंजी होगी ऐसी संस्था के मामले में शासन द्वारा नामित किए हुए दो से अधिक बढ़कर न रहनेवाले ऐसे सरकारी अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे और एसे सदस्य उप-धारा (१) के प्रथम परन्तुकानुसार निर्वाचित सदस्य संख्या के अतिरिक्त रहेंगे :

परन्तु, यह भी कि, क्रियाशील निदेशक और संस्था के तृतीय, परंतुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, समिति के भी सदस्य होगें और ऐसे सदस्य उप-धारा (१) के प्रथम परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों कि कुल संख्या के गिनति से अपवर्जित किए जायेंगे।

परंतु यह भी कि, ऐसे विशेषज्ञ निदेशक को, संस्था के किसी चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वे समिति के पदधारकों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नही होंगे ।

(३) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदधारकों की पदावधि निर्वाचन की दिनांक से पाँच वर्षों की होगी और पदधारकों की पदावधि के साथ होगी ।

(४) यदि समिति जिसमें से आकस्मिक रिक्ति हुई है तो उस संबंधी व्यक्तियों के उसी श्रेणी में के सदस्यो में से कोई आकस्मिक रिक्ति भरी जायेगी :

(५) (क) यदि, समिति के सदस्यों के किसी आम निर्वाचन पर, परिणामों की घोषणा के बाद, समिति गठित नहीं होती है तब, इस अधिनियम या संस्था के नियम या उप-विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात

के होते हुए भी, निर्वाचन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्वाचन का आयोजन करता है तो, दो-तिहाई या से अधिक संख्या में सदस्य की घोषणा सात दिनों के भीतर, अपने नाम अपने स्थायी पते के साथ रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेंगे, जो उसके द्वारा उसमें की प्राप्ति की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, नोटीस बोर्ड पर नोटीस चिपकाकर या उसके कार्यालय में स्थायी स्थान पर ऐसे नाम और पते को प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करवायेगा ; और ऐसे प्रकाशन पर संस्था की समिति सम्यक् रूप से गठित हुई मानी जायेगी। सदस्यों की दो-तिहाई संस्था के अवधारण में विखंडता पर ध्यान नहीं दिया जायेगा :

परंतु, ऐसा प्रकाशन नहीं माना जायेगा कि,—

(एक) शेष सदस्यों के निर्वाचन का समापन प्रवरित करना और निर्वाचित सदस्यों के नामों और स्थायी पतों का उसी प्रकार और जब वे उपलब्ध हों प्रकाशन करना ; या

(दो) इस अधिनियम के अधीन समिति के सदस्यों की पदावधि को प्रभावी करना ;

(ख) शेष सदस्यों के नाम उनके निर्वाचित होने के बाद (उनके स्थायी पतों समेत इकट्ठा), तत्पश्चात् उसी प्रकार रजिस्ट्रार द्वारा भी प्रकाशित किये जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३कक और ७३कख का अपमार्जन।

३१. मूल अधिनियम की धाराएँ ७३कक और ७३कख अपमार्जित की जायेंगी।

सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३ख में संशोधन।

३२. मूल अधिनियम की धारा ७३ख की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " चार सीटें " शब्दों के स्थान में " तीन सीटें " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (क-एक) के, अंत में " और " शब्द जोड़ा जायेगा ;

(तीन) खंड (क-दो) के, अंत में प्रकट होनेवाला " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(चार) खंड (ख) को अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी ;

(ग) उप-धारा (३) में, " या यथास्थिति, कमजोर वर्ग " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (४) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेंगी, अर्थात् :—

" (४) जहाँ किन्हीं तीन आरक्षित सीटों को निर्वाचित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तब, ऐसी सीट या सीटें उप-धारा (३) के अधीन निर्वाचन लड़ने हेतु हकदार व्यक्तियों में से नामांकन द्वारा भरी जायेंगी । ; "

(ङ) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) को अपमार्जित किया जायेगा ;

(च) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्व टिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात् :—

" संस्थाओं की समितियों पर कतिपय सीटों का आरक्षण और उनके निर्वाचन। "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३खख और ७३खखख में का अपमार्जन।

३३. मूल अधिनियम की धारा ७३खख और ७३खखख को अपमार्जित किया जाएगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ग का प्रतिस्थापण।

३४. मूल अधिनियम की धारा ७३-ग के लिए, निम्न धारा रखी जाएगी अर्थात् :—

" ७३ग. (१) इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये नियमों में या किसी संस्था के उप-विधियों में अन्तर्विष्ट महिलाओं के लिए आरक्षण किसी बात के होते हुए भी, वहाँ सदस्यों के रूप में व्यक्तिगत निर्वाचन करनेवाली हर एक संस्था की समिति पर महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होंगी और महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सदस्य होंगे।

(२) संस्था की कोई व्यक्तिगत महिला सदस्य या सदस्य संस्था की समिति की कोई महिला सदस्य, चाहे निर्वाचित, सहयोजित या नामित है तो वह उप-धारा (१) के अधीन आरक्षित सीट का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होगी।

(३) जहाँ कोई महिला सदस्य नहीं है या, यथास्थिति, ऐसी आरक्षित सीटों पर महिला सदस्य निर्वाचित हो जाती है, तब ऐसी सीट या सीटें उप-धारा (२) के अधीन निर्वाचन लड़ने की इच्छुक पात्र महिला सदस्यों में से नामांकन द्वारा भरी जायेंगी।

(४) इस धारा में न होकर भी, केवल महिला सदस्यों की संस्था समिति को यह लागू होगा। " ।

३५. मूल अधिनियम की धाराएँ ७३ङ और ७३ङक अपमार्जित की जायेगी। सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३ङ और ७३ङक का अपमार्जन।

३६. मूल अधिनियम की धारा ७३चच, धारा ७३गक के रूप में पुन:क्रमांकित की जायेंगी और इस प्रकार पुन:क्रमांकित धारा ७३-ग क में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३चच में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) के पूर्व, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

" (क-१) (क) संस्था के मामले में, जो सदस्यों को मशीनरी, औजार, उपकरण, उपयोगी वस्तु या अन्य मालों की खरीद करने के लिए कर्ज देती है या जो ऐसे मालों के व्यवहार में है तो कोई भी सदस्य, जो या जिसके परिवार का सदस्य ऐसे मालों का ब्यौहारी होगा या संस्था के प्रचालन के क्षेत्र में ऐसे मालों का कारोबार करनेवाली कंपनी का निदेशक या फर्म का साझेदार होगा तो वह ऐसी संस्था की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित होने के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ख) उप-धारा (१) में,—

स्पष्टीकरण——इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए परिवार अभिव्यक्ति, धारा ७५ की उप-धारा (२) के स्पष्टीकरण में व्याख्या किये गये उसी अर्थान्तर्गत होगा ;

(एक) **स्पष्टीकरण** में, खंड (ङ) के बाद, निम्न अनुच्छेद निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(च) जिला केंद्रिय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक के मामले में, सदस्य, यदि वह,—

(एक) व्यक्ति जो जिला केंद्रिय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड पर प्राथमिक कृषिसाख सहकारी संस्था से भिन्न संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यदि संस्था जिसे नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए अदायगी के लिए चूककर्ता के रूप में प्रतिबद्ध करके प्रतिनिधित्व देती है ;

(दो) व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का चूककर्ता है, या प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था का पदधारक चूककर्ता है ;

(तीन) व्यक्ति जो संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको प्रबंधन समिति अधिष्ठित करती है। " ;

(दो) खंड (दो) के बाद, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (दो-क) धारा २६ की उप-धारा २ के अधीन असक्रिय सदस्य के रूप में वर्गीकृत है ; या " ;

(तीन) खंड (पाँच) में,

(क) " धारा ७३-च की उप-धारा (२) " शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर के स्थान में, " उप-धारा (क-१) का खंड (ख) " रखा जायेगा।

(ख) **स्पष्टीकरण** अपमार्जित किया जायेगा।

(चार) खंड (छह) में, " या धारा ७३खख के अधीन संस्था की समिति पर किसी आरक्षित सीट के लिए चयन किये गये या निर्वाचित " शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर के स्थान में, " या धारा ७३क की उप-धारा (२) के अधीन संस्था की समिति पर कृत्यकारी निदेशक के रूप में नामित " शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(पाँच) खंड (सात) के बाद, निम्न खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" (आठ) धारा १४६ के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हैं और धारा १४७ के अधीन सिद्ध दोष पाया गया है ; या ;

(नौ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के लिए उपबंधों के अधीन के अपराध के लिए एक वर्ष से कम नहीं ऐसे कारावास से दोषसिद्ध हुआ है ;

(ग) उप-धारा (२) के बाद, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) उप-धारा (क-१) के और उप-धारा (एक) के खंड (एक) से (नौ) के अधीन उपगत अनर्हता के कारण समिति का कोई सदस्य, जो उसके सदस्य होने से परिविरत हो जाता है तो, जिस दिनांक को वह समिति के सदस्य से इस प्रकार परिविरत हुआ है उस दिनांक से समिति की अगली पाँच वर्षों की पदावधि की कालावधि समाप्त होने तक समिति के सदस्य के रूप में पुनःनामित, पुनःसहयोजित या पुनःनिर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(४) उप-धारा (३) में निर्दिष्ट अनर्हता से अन्य, समिति का सदस्य जो उसके सदस्य होने से परिविरत हो जाता है तो, जबतक से अन्यथा इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित, ऐसी अनर्हता से परिविरत शीघ्र ही समिति के सदस्य के रूप में पुनःनामित, पुनःसहयोजित या पुनःनिर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। " ;

(घ) पार्श्व टिप्पणी में, निम्न पार्श्व टिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात् :—

" समिति और उसके सदस्यों की अनर्हता। " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३गक की निविष्टि।

३७. मूल अधिनियम की धारा ७३गक के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण।

" **७३गख.** (१) अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की निर्वाचक सूचियों की तैयारी करने और उसका संचालन करने के लिए, संस्था के सभी निर्वाचन, प्राधिकरण में निहित होंगे जिसे " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " नाम होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाये। किसी आकस्मिक रिक्ति के विस्तार को लागू समेत बोर्ड के सदस्यों के प्रत्येक आम निर्वाचन और संस्था के पदधारकों के निर्वाचन, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

(२) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त से बनेगा जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न पद श्रेणी के पद का होगा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और उनकी पुनः नियुक्ति की पदावधि दो वर्षों तक अतिरिक्त बढ़ायी जायेगी । राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का कार्यालय, ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये :

परंतु, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, पैंसठ वर्ष पूर्ण होने पर पद से सेवानिवृत्त होगा।

(३) राज्य सरकार, प्रतिनियुक्ति पर, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सचिव के रूप में अतिरिक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद धारण करनेवाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(४) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त और सदस्यों के वेतन और भत्तों समेत सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये। उप-धारा (६) के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल द्वारा आदेशित और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा संचालित जाँच के बाद दुराचार और अक्षमता साबित होने के आधार पर केवल राज्यपाल के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा जो जाँच पर यह रिपोर्ट करेगा कि ऐसे आधार पर राज्य सहकारी निर्वाचन या सदस्य को कर्तव्य के कारण हटाया गया था।

(५) राज्यपाल, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त या सदस्य को उसके पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो उन्हें जाँच के दौरान पद पर उपस्थित रहने के लिए प्रतिषेध भी करेगा, जिसके संबंध में जाँच जो उप-धारा (४) के अधीन आदेशित हो जबतक राज्यपाल, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित होने तबतक होगा।

(६) उप-धारा (५) के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल आदेश द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त या सदस्य को उसके पद से हटायेगा, यदि वह,—

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया हो गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए राज्यपाल की राय में दोष सिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) उसके कर्तव्यों से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में उसकी पदावधि के दौरान लगा है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य के कारण, पद पर नियमित होने के लिए असमर्थ है ; या

(ङ) राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त या सदस्य के रूप में, उसके कृत्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावी करने की संभावना में ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है।

(७) राज्य सरकार, राज्य सहकारी निर्वाचन के साथ परामर्श करने के बाद, उसके कार्यालय के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उपबंध करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का अनुपालन करने में सहायता होगी।

(८) राज्य सरकार, जब उप-धारा (१) द्वारा राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण पर प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए, आवश्यक समझे जाये ऐसे कर्मचारीवृंद को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इस प्रकार अनुरोध किया जाये तब उपलब्ध करेगी।

(९) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसको उप-धारा (८) लागू होती है, वह उचित कारण के बिना किसी कृत्य में दोषी पाया जाता है या उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में गलती करता है तो वह, दोष सिद्धि पर पाँच सौ रुपये तक बढ़ाये जा सकनेवाले जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

(ख) यथा उपर्युक्त किसी ऐसे कृत्य या गलती संबंधी हानियों के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यालये संस्थित नहीं की जायेंगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " उन व्यक्तियों को जिसे उप-धारा (८) लागू होगी " की अभिव्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, किसी अन्य व्यक्तियों जिन्हें, निर्वाचन में उम्मीदवारों के नामांकन या प्रत्याहरण के प्राप्ति के संबंध में या अभिलिखित करने या मतों की गिनति करने के किसी कर्तव्य का पालन करने में नियुक्ति की गई है और " पदीय कर्तव्य " की अभिव्यक्ति का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा किन्तु, इसमें इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन से भिन्न अधिरोपित कर्तव्य सम्मिलित नही होंगे।

(१०) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक संस्था के समिति का निर्वाचन, विद्यमान समिति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा ताकि इसकी सुनिश्चीति हो सके कि समिति के नवीन निर्वाचित सदस्य, पदयुक्त समिति के सदस्यों के पद समाप्त होने पर तत्काल पद धारण कर सकें।

(११) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, विहित किये जायें ऐसी आधुनिक प्रोद्योगिकी और विशेषज्ञों के उपयोग समेत प्रक्रिया, संदर्शिका और रीति के अनुसार, संस्था या संस्थाओं के वर्ग के निर्वाचन करायेगी।

परंतु, राज्य सरकार, संस्था के उद्देश्य, संस्थाओं का वर्ग, कार्य का क्षेत्र और, व्यवसाय के मानक और उचित प्रबंधन और सदस्यों के हित का विचार करकें सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्थाओं को वर्गीकृत करेगा जैसा कि विहित रित्या में होगा।

(१२) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, आम निर्वाचन के बाद, समिति के गठन से पंद्रह दिनों के भीतर संस्था के उप-विधियों के अनुसार, निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित समिति और अध्यक्ष या सभापति उपाध्यक्ष या उप-सभापति के पद और ऐसे अन्य पद धारकों के निर्वाचन करायेगा ।

(१३) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के स्तर पर एक निर्वाचन निधि अनुरक्षित किया जायेगा। प्रत्येक संस्था, निर्वाचन निधि के संबंध में, उसके निर्वाचन के लिए एक खर्च की अनुमानित रकम, अग्रिम में जमा करेगी जैसा कि राज्य निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा और विहित और अपेक्षित किया जाये। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उक्त निधि से पदधारकों के निर्वाचन समेत संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक व्यय उपगत करेगी। कोई निर्वाचन करने के लिए व्यय, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और पारिश्रमिक की अदायगी समेत, यदि कोई हो, निर्वाचन के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त की गई व्यक्तियाँ, उक्त निधि में से उपगत करेगी और खर्च, विहित किये जाये ऐसी रित्या में किया जायेगा। रजिस्ट्रार, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अध्यपेक्षा पर, किसी ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग से निर्वाचन करने का खर्च वसूल कर सकेगी :

परंतु, यदि कोई संस्था, निर्वाचन व्यय अदा करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार, देय रकम की वसूली के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी रकम भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल कर दी जायेगी।

(१४) प्रत्येक सहकारी संस्था की समिति,—

(क) ऐसी पदावधि की समाप्ति की दिनांक से पूर्व, कम से कम छह महीने के भीतर उसकी पदावधि की समाप्ति के बारे में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को सूचित करेगी ;

(ख) ऐसी रिक्ति घटित होने से पंद्रह दिनों के भीतर, समिति या उसके पदधारकों में घटित कोई आकस्मिक रिक्ति सूचित करेगी ;

(ग) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा विहित कैलेंडर अनुसार, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को अपेक्षित ऐसी बहियों, अभिलेख और सूचना देगी ;

(घ) निर्वाचनों का संचालन करने के लिए निर्वाचक नामावली की अबाध तैयारी के लिए सभी आवश्यक मदद, सहायता और सहयोग प्रदान करेगी।

(१५) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी संस्था के नियम या उप-विधियाँ, समिति का निर्वाचन और पदधारकों के आनुषंगिक निर्वाचन जो महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ के प्रारंभण की दिनांक को अपेक्षित या ऐसी दिनांक के बाद ३१ मार्च २०१३ तक अपेक्षित है तो वह ३१ दिसंबर २०१३ के पूर्व किये जायेंगे। ”। सन् २०१३ का महा. १६।

३८. मूल अधिनियम की धारा ७३च के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३च का प्रतिस्थापन।

" **७३च.** यदि कोई व्यक्ति समिति पर एक से अधिक सीट पर निर्वाचित होता है तब, यद्यपि, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, सभी से त्यागपत्र देगा किन्तु एक सीट को लिखित द्वारा उसके हाथ में रखकर निर्वाचन अधिकारी या, यथास्थिति, इस संबंध में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करेगा, सभी सीटें रिक्त होगी। ऐसे त्यागपत्र या इस प्रकार रिक्त होनेवाली सीटों पर, निर्वाचन अधिकारी या, यथास्थिति, इस संबंध में राज्य सहकारी संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का कारण बनायेगा। "। संस्था की समिति पर एक से अधिक सीट के लिए निर्वाचन।

३९. मूल अधिनियम की धारा ७३-चचच और ७३-छ अपमार्जित की जायेंगी। सन् १९६१ का महा. २४ की धाराएँ ७३चचच और ७३ख का प्रतिस्थापन।

४०. मूल अधिनियम की धारा ७३-ज अपमार्जित की जायेगी। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ज का प्रतिस्थापन।

४१. मूल अधिनियम की धारा ७३झ के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ में धारा ७३झ की निविष्टि।

" **७३झ.** (१) धारा ७३गख की उप-धारा (१४) के अधीन यथा उपबंधित, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को उसकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उसके निर्वाचन करने के लिए संसूचित करने का समिति का यह कर्तव्य होगा। पदावधि समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन के आयोजन को सूचना और मार्गदर्शन करने का समिति का या प्रबंधक या प्राधिकृत अधिकारी का कर्तव्य।

(२) उसके निर्वाचन करने के लिए, उप-धारा (१) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को संसूचित करने में जहाँ पर समिति की तरफ से जानबूझ कर विफल रहा जाता है और चाहे जो भी कारण हो , समिति के सदस्यों का निर्वाचन, उसके तत्कालीन सदस्यों से उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व नहीं कराये जायेंगे जो उनके पद धारण करने से परिविरत होते है और ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रार धारा ७७क के अधीन यथा अनुध्यात कार्यवाही करेगा।

(३) उप-धारा (२) के अधीन ऐसी कार्यवाही करने पर, इस प्रकार नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी, तत्काल रूप से निर्वाचन करने के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन संस्था को संसूचित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने में सहायता करेगा। "।

४२. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७५ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " तत्समय के लिए प्रवृत्त नियमों के अधीन वर्ष के लिए उसके लेखाओं को बनाने के लिए नियत की गई दिनांक के बाद अगले तीन महीने, उसके सदस्यों की साधारण बैठक बुलायेगा ", शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" चार महिने के वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद, बही खातों का लेखापरीक्षण और इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें ऐसे उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए, छह महिने के वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद उसके सदस्यों की वार्षिक साधारण समिति की बैठक बुलायेगा ; "

(दो) प्रथम परंतुक अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) द्वितीय परंतुक में, " परंतु यह भी कि " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " संस्था द्वारा सम्यक् रूप से बुलायी गई " शब्दों से अंत होनेवाले हिस्से के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, जहाँ ऐसी बैठक संस्था द्वारा बुलायी नहीं गई है तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी विहित रीत्या में ऐसी बैठक बुलायेगा और वह बैठक संस्था द्वारा सम्यक् रूप से बुलायी गई साधारण समिति की बैठक समझी जायेगी। " ;

(ख) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) संस्था की प्रत्येक वार्षिक साधारण समिति की बैठक पर, समिति संस्था के सामने,—

(एक) कर्जों को ब्यौरेवार दर्शानेवाला विवरण, यदि, कोई हो, संस्था या फर्म या कंपनी जिसका ऐसा सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों में का सदस्य, साझेदार या, यथास्थिति, निदेशक समेत समिति के सदस्यों में से कोई या किसी समिति सदस्य के परिवार के कोई सदस्य को दिया गया है ; पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दिये गये पुनःअदायगी का ब्यौरा और उस वर्ष की समाप्ति पर बकाया और अतिदेय;

(दो) उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट ;

(तीन) अधिशेष के निपटान के लिए योजना ;

(चार) संस्था के उप-विधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो ;

(पाँच) जब देय हो तब, उसकी समिति के उसके निर्वाचन की दिनांक और संचालन संबंधी घोषणा ;

(छह) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट ;

(सात) पूर्वतर लेखापरीक्षा की परिशुद्धि रिपोर्ट ;

(आठ) अगले वर्ष के लिए वार्षिक बजट ;

(नौ) इस अधिनियम और नियमों के किसी उपबंधों के अनुसरण में, रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी ; और

(दस) उप-विधियों में और के अधिकथित किये गये संव्यवहारित ऐसे अन्य कारोबार जिसकी देय सूचना दी गई है ।

स्पष्टीकरण एक.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " परिवार " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहन, लड़का, लड़की, दामाद या बहू से है ;

स्पष्टीकरण दो.—लाभ के लिए कारोबार न चलानेवाली संस्था के मामले में, संपरिक्षित आय और खर्च लेखा, संपरिक्षित लाभ और हानि लेखा के बजाय संस्था की वार्षिक साधारण समिति की बैठक में सामने रखा जायेगा और संपरिक्षित लाभ और हानि लेखा के सभी संदर्भ और इस अधिनियम में, " लाभ " या हानि का अर्थ ऐसी संस्था के संबंध में क्रमशः, " आय अधिक व्यय के अतिरिक्त " और " खर्च अधिक आय के अतिरिक्त " लगाया जायेगा । "

(ग) उप-धारा (२) के बाद, निम्न उप-धारा निर्विष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (२क) प्रत्येक संस्था, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पॅनल से लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण करनेवाले फर्म की नियुक्ति, चालू वित्तीय वर्ष के लिए, धारा ८१ में यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखनेवाले को उसकी वार्षिक साधारण समिति की सभा में करेगी और रजिस्ट्रार को विवरणी भी दर्ज की जायेगी जिसमें नियुक्त लेखापरीक्षक का नाम और वार्षिक साधारण समिति की बैठक की दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए उसकी लिखित सहमति भी होगी :

परंतु, यदि लेखापरीक्षक कि, तीन क्रमवर्ती वर्षों से अधिक के लिए उसी संस्था की वार्षिक साधारण समिति की बैठक द्वारा नियुक्ती नहीं की जायेगी।

(घ) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) प्रत्येक वार्षिक साधारण समिति की बैठक पर लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को लेखापरीक्षा रिपोर्ट जो धारा ८१ के अधीन नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, पूर्वतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट परिशुद्धि और समिति की रिपोर्ट, स्वीकृति के लिए रखी जायेगी और ऐसा अन्य कारोबार उप-विधियों मे अधिकथित किये जाये ऐसा संव्यवहारित किया जायेगा और जिसकी देय सूचना दी जायेगी । " ;

(ङ.) उप-धारा (५) में,—

(एक) " अवधि के भीतर या, यथास्थिति, विस्तारित अवधि " शब्दों के स्थान में, " अवधि के भीतर साधारण समिति की बैठक " शब्द रखे जायेंगे ; " ;

(दो) " उप-धारा (२) " शब्द, कोष्ठक तथा अंक के स्थान में, जहाँ कहीं वे आये हों वहाँ " उप-धारा (२), (२क) के साथ ", शब्द कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे, ;

(तीन) " तीन वर्ष से अनधिक " शब्दों के स्थान में, " पाँच वर्ष से अनधिक " शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) " सौ रूपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(च) पार्श्वटिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्वटिप्पणी, रखी जायेगी, अर्थात :—

" वार्षिक साधारण समिति की बैठक । " ;

४३. मूल अधिनियम की धारा ७६ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७६ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " विशेष साधारण बैठक " शब्दों के स्थान में, " विशेष साधारण निकाय बैठक " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) " तीन वर्ष से अनधिक " शब्दों के स्थान में, " पाँच वर्ष से अनधिक " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " सौ रूपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) में, " विशेष साधारण बैठक " शब्दों के स्थान में, " विशेष साधारण निकाय बैठक " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) पार्श्वटिप्पणी के स्थान में निम्न पार्श्वटिप्पणी रखी जायेगी अर्थात् ;—

" विशेष साधारण निकाय की बैठक । " ;

४४. मूल अधिनियम की धारा ७७ क में,—" ; सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७७क में संशोधन।

(क) खंड (ख) में, या, यथास्थिति अवधि विस्तारित की जायेगी को अपमार्जित किया जाएगा।

(ख) खंड (ख) के बाद, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ख-१) वहाँ पर गठन में गतिरोध है या समिति कृत करने से परिविरत होती है, या प्रबंधन में रिक्त स्थान होता है ; " ;

(ग) खंड (च) में,—

(एक) " संस्था के किसी अधिकारी के आवेदन पर " शब्दों के स्थान में, " संस्था के किसी अधिकारी या सदस्य के आवेदन पर " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (२) के स्थान में, " एक या अधिक प्रशासक " शब्दों के स्थान में, " एक या अधिक प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) द्वितीय परंतुक के बाद, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु यह भी कि, यदि संस्था का सदस्य या के सदस्य, ऐसी समिति पर काम करने की इच्छा नहीं रखते है तो, रजिस्ट्रार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह संस्था के सदस्य न होनेवाले एक या अधिक प्राधिकृत आधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा जैसा वह उचित समझे, जो संस्था का कार्य बाद में देख सकेंगे । " ;

(ड.) उप-धारा (२) में, " प्रशासक " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(च) उप-धारा (३) में,—

(एक) " प्रशासक " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) प्रथम और द्वितीय परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् ;—

" परंतु, समिति या प्राधिकृत अधिकारी की पदावधि की परिस्थिति, उनके पद धारण करने की दिनांक से छह महीने से अधिक नहीं होंगी । " ;

(छ) उप-धारा (४) में, " प्रशासक " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ज) उप-धारा (५) मे,—

(एक) " धारा ७८ की उप-धारा (२क) " शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षर के स्थान में, " धारा ७८-क की उप-घारा (२) " शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(दो) " सदस्यों या प्रशासकों " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी यों " शब्द रखे जायेंगे ;

(एक) पार्श्वटिप्पणी में, निम्न पार्श्वटिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात :—

" समिति के सदस्य की नियुक्ति, नई समिति, प्राधिकृत अधिकारियों, जहाँ सदस्य निर्वाचित करने में, समिति गठित करने में विफल रहते हैं या जहां समिति पद पर प्रविष्ट नहीं होती है आदि । " ;

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७८ में निविष्टि।

४५. मूल अधिनियम की धारा ७८ में निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात :—

समिति के निलंबन की शक्ति।

" **७८**. (१) अगर रजिस्ट्रार की राय में समिति अपने कर्तव्यों का पालन करने मे कसूर करती है या उसके कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरतती है या उसके कार्य उचित रीत्या और परिश्रमपूर्ण नहीं है या समिति के सदस्यों का त्यागपत्र, निरर्हता इसके कारण या अन्य समिति की रचना या कार्य में दोष हो तो रजिस्ट्रार नोटीस मिलने की दिनांक से पंधरा दिनों के भीतर समिति की कारण बताओं लिखित रूप में पेश करने का अवसर अन्य कोई भी, अवसर देने के बाद और मत रखने का योग्य अवसर देने के बाद और वह संख्या जिससे संलग्न होगी, उस संघीय संस्था से विधानमंचन करने के बाद, नोटीस में सूचित किये आरोप की निश्चिति होती है, लेकिन उस पर उपाय योजना हो सकती है या निष्कर्षतः आया हो तो, आदेश द्वारा,—

(एक) आदेश में उल्लेखित किये गये नुसार, छः माह से अधिक नहीं होगा ऐसे अस्थायी समय के लिए समिति को निलंबन के अधीन रखा जाएगा।

(दो) संस्था के मामलों का संचालन करने के लिए उस संस्था के स्थान में, प्रशासक या संस्था के तीन या अधिक सदस्य जो इस रित्या स्थगित सदस्य नही होंगे समावेशित प्रशासक के समिति की नियुक्ति करेंगे या प्रशासक या प्रशासक की वह संस्था के सदस्य रहने की आवश्यकता नही, समिति की नियुक्ति कर सकेंगे :

परन्तु, इस उप-धारा की कोई भी बात संस्था को लागू नहीं होगी जहाँ सरकार द्वारा किसी नगर या किस्म या किसी गारंटी के, निबंधन में सरकारी शेयरधारी या कर्ज या वित्तीय सहायता नहीं हैं।

परन्तु, इस उप-धारा कोई भी जहाँ शासन द्वारा कोई या ऋण या किसी भी हिस्सेदारी नगदी भी वित्तीय या प्रकार या शासन द्वारा शाश्वत नही है, ऐसी संस्था को लागू नही होगी :—

परंन्तु यह और कि, अगर संस्था द्वारा बैंक व्यवसाय करती है वहॉ बैंक विनियम अधिनियम, १९४९ के उपबंध भी लागू होंगे :

सन् १९४७ का १०।

परन्तु, यह और भी कि, अगर संस्था द्वारा बैंक व्यवसाय करती है तो, इस धारा के उपबन्ध " छह महिने " शब्दों के प्रभाव के स्थान पर " एक वर्ष से अधिक " शब्द रखे जायेंगे :

परन्तु, यह और भी कि, इस धारा में विनिर्दिष्ट आदेशानुसार पदावधि समाप्त होने के पहले, रजिस्ट्रार को उसके स्वेच्छाधिकार से समिति या उसका कोई भी सदस्य या नियुक्त प्रशासक बदलने का अधिकार रहेगा :

परन्तु, यह और भी कि, ऐसी संसूधित राज्य परिसंघीय संस्था सूचना प्राप्त होने की दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार को अपनी राय सूचित करेंगे, ऐसा करने मे कसूर करने पर ऐसी संसूचित परिसंघीय संस्था की स्थगीति भी करने के आदेश के संदर्भ में आपत्ति नहीं है ऐसा माना जायेगा और रजिस्ट्रार को उस अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता रहेगी ।

(२) इस प्रकार उप-धारा (१) के खंड (दो) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक या प्रशासकों की समिति, आदेश में लिये गये उपचारी उपायों के लिए विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसी अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगी और ऐसी रिपोर्ट या अभिलेख में रखी गई किसी अन्य सामग्री पर परीक्षा करने के बाद, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि, नोटीस में उल्लिखित प्रभार अच्छे या उपचारी है तो वह आदेश द्वारा प्रतिसंहरण करके, निलंबन का और प्रशासक या प्रशासकों का समिति को तत्काली रूप से निलंबित समिति को प्रबंधन सौंपने का आदेश देगी ।

(३) जब उप-धारा (१) के अधीन किसी समिति या सदस्य के विरूद्ध कोई नोटीस जारी की गई है, यदि समिति या सदस्य द्वारा किसी पद से त्यागपत्र दिया जाता है तो, वह नोटीस जारी करने की दिनांक से दो महीने तक या रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुमति तक, जो भी पहले हो, वैध या प्रभावी नहीं होगी ।

(४) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक या समिति के प्रशासक को, रजिस्ट्रार और ऐसे अनुदेशों जो वह समय समय पर के नियंत्रण के अधीन समिति या संस्था के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को प्रदत्त करने की शक्ति होगी और वह संस्था के हित में अपेक्षित की जाये ऐसी सभी कार्यवाहियाँ कर सकेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, वह राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के द्वारा निर्वाचन के संचालन का प्रबंध करेगा और संस्था के अधिनियम, नियम और उप-विधियों के अनुसार नये निर्वाचित समिति को प्रबंधन सौंपेगा । यथा उपर्युक्त इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक या समितियों के प्रशासकों को, उप-विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्व समिति द्वारा बुलाई गई साधारण समिति की बैठक में लिये गये विनिश्चयों या पारित संकल्पो का पुनःरीक्षण या पुनःविचार करने या उसके द्वारा की गई कार्यवाही का पृष्ठांकन करने के लिए, विशेष साधारण समिति की सभा बुलाने की शक्ति होगी ।

(५) प्रशासक की सेवा कि शर्ते, रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जायेगी जिसमें, उसके देय पारिश्रमिक और प्रबंधन का खर्च सम्मिलित होगा । ऐसा पारिश्रमिक और खर्च, ऐसे समय के भीतर और ऐसे अंतरालों पर संस्था के निधियों में से देय होगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाये और यदि ऐसा पारिश्रामिक या खर्च ऐसे समय के भीतर या अंतरालों पर अदा नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार,

संस्था की निधि जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में होगी उस व्यक्ति को भू-राजस्व का कोई बकाया या भू-राजस्व के रूप में संस्था से वसूल की जानेवाली कोई रकम छोड़कर, प्रशासक या प्रशासकों की समिति को देय ऐसा परिश्रमिक और ऐसा खर्च प्राथमिकता में देने के निदेश दे सकेगा और वह, जहाँ तक देने के निदेश दे सकेगा और वह जहाँ तक हो सकें संस्था के निधि में से यह खर्च करने की अनुमति देकर रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन करेगी ।

(६) उप-धारा (१) के अधीन, नियुक्त किये गये प्रशासक या प्रशासकों की समिति द्वारा संस्था के कामकाज कार्यान्वित है उस अवधि के दौरान प्रशासक या प्रशासकों की समिति द्वारा कृत या करने के लिये आशयित सभी कार्य नवीन समिति पर बाध्यकारी होंगे । "।

सन् १९६१ का महा. २४ में धारा ७८क की निविष्टि।

४६. मूल अधिनियम की धारा ७८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

समिति का अधिकरण या उसके सदस्यों को हटाने की शक्ति।

" **७८ क.** (एक) यदि रजिस्ट्रार की राय में समिति या समिति का कोई सदस्य, संस्था या उसके सदस्यों के हित के लिये ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या यदि राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन कराने के लिये असफल होता है या जहाँ समिति या ऐसी समिति के किसी सदस्य अपने या उसके कार्यों के निर्वाहन करने के लिये इन्कार करता है या परिविरत करता है तब ऐसी स्थिति उद्भूत होती है और संस्था का कामकाज रूका हुआ है या रूकने की संभावना है या यदि कोई गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखेबाजी की शिनाख्त हुई है या यदि वहाँ कोरम की शाश्वत कमी है या जहाँ धारा ७८ की उप-धारा (१) में उल्लिखित आधारों पर रजिस्ट्रार की राय में उपचारी नहीं है या से अनुपालनीय नहीं है या जहाँ ऐसी समिति का कोई सदस्य समिति का सदस्य होने के लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन निरर्हित ठहराया गया है तो रजिस्ट्रार समिति या, यथास्थिति, सदस्य को धारा ७८ की उप-धारा (१) के अधीन यथा उपबंधित अपने या उसके एतराजों को कथित करने का अवसर देने के बाद और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, इस निष्कर्ष पर आते है कि, सूचना में उल्लिखित आरोप साबित हुए है और संस्था का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उप-विधियों के अनुसरण में कार्यान्वित नहीं किया जायेगा और वह उसके कारणों को विहित करके आदेश द्वारा,—

(क) (एक) समिति अतिष्ठित कर सकेगा ; और

(दो) छह महीने से अनधिक अवधि के लिए संस्था के कामकाज का प्रबंध करने के लिये उसके स्थान में इस प्रकार अतिष्ठित समिति के सदस्य से अन्य संस्था के तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर एक समिति नियुक्त कर सकेगा या प्रशासक या प्रशासको की समिति नियुक्त कर सकेगा जिसे संस्था का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है :

परन्तु, रजिस्ट्रार को इस उप-धारा के अधीन बनाए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व अपने स्वनिर्णय में समिति या उसके किसी सदस्य या नियुक्त प्रशासक या प्रशासकों को बदलने की शक्ति होगी :

परन्तु, यह और भी कि ऐसी संसूचित राज्य परिसंघीय संस्था सूचना प्राप्त होने की दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार को अपनी राय सूचित करेगी, ऐसा करने में विफल राज्य पर ऐसी परिसंघीय संस्था अधिक्रमण करने के या हटायें गये सदस्य के संदर्भ में आदेश, आपत्ति नहीं हैं ऐसा माना जाएगा और रजिस्ट्रार को तद्नुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता रहेगी।

परन्तु, आगे यह कि, बैंककारी कामकाज करनेवाली संस्था के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ के उपबंध लागू होंगे और ऐसी संस्था की समिति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये अतिष्ठित नहीं की जायेगी : सन् १९४९ का १०।

परन्तु यह भी कि, इस उप-धारा की कोई भी बात संस्था को लागू नहीं होगी जहाँ सरकार द्वारा किसी नगद या किस्म या किसी गारंटी के निबन्धन में सरकारी शेअरधारी या कर्ज या वित्तीय सहायता नहीं है ;

(ख) सदस्य को हटाना :

परन्तु, सदस्य जो इस प्रकार हटाया गया है वह किसी संस्था की किसी समिति के सदस्य के रूप में पूर्व-निर्वाचन, पुर्नःसहयोजित या नामनिर्देशित होने के लिये जब तक उसे इस प्रकार हटाया गया है, उस दिनांक से समिति की अधिक एक वर्ष की अवधि के अवसान तक पात्र नहीं होंगे :

सन् १९४९ का १०।

परन्तु, आगे यह कि, बैंककारी कामकाज कार्यान्वित करनेवाली संस्था के मामले में, बैंककारी विनियम अधिनियम, १९४९ के उपबंध भी लागू होंगे ।

(२) धारा ७८ की उप-धारा (३), (४), (५) और (६) के उपबंध, इस धारा के अधीन अधिक्रमण या हटाने के संबंध में **यथावश्यक परिवर्तन** सहित लागू होंगे । "।

४७. मूल अधिनियम की धारा ७९ की,– सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७९ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " लेखा पुस्तकों " शब्दों के पश्चात्, " इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्ररूप समेत ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) प्रत्येक संस्था, रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को संबंधित ऐसा लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के छह महीने के भीतर, विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा । विवरणियाँ, निम्न मामलों में अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) उसकी गतिविधि की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ख) उसके लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण ;

(ग) संस्था के सामान्य निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष निधि के निपटान के लिये योजनाओं ;

(घ) संस्था यदि कोई हो, की उप-विधियों के लिये संशोधन की सूची ।

(ड.) उसकी साधारण निकाय बैठक लेने और निर्वाचन कराने के दिनांक संबंधी प्रतिज्ञापन ;

(च) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक किसी अन्य जानकारी ।

(१ख) प्रत्येक संस्था वार्षिक साधारण निकाय बैठक के दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर उसकी लिखित सहमति के साथ साधारण निकाय बैठक में, नियुक्त इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म के नाम संबंधी विवरणी भी प्रस्तुत करेगी । ";

(ग) उप-धारा (२) में,—

(एक) " किसी कार्यवाही करने " शब्दों के पश्चात्, " विवरणियाँ प्रस्तुत करने समेत " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) " पूर्वगामी उप-धारा " शब्दों के स्थान में, " पूर्वगामी उप-धाराओं " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (३) में, " पच्चीस रूपये " शब्दों के स्थान में, " एक सौ रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ड.) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोडी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) रजिस्ट्रार या उस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति, इस प्रकार प्राप्त विवरणियाँ और सूचना की संविक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो अधिकतर आवश्यक कार्यवाही करेगा। ";

(च) पार्श्वटिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्व टिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात् :–

" विवरणी और कथन प्रस्तुत करने की संस्थाओं की बाध्यता और ऐसी बाध्यताओं का अनुपालन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति । "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७९क में संशोधन।

४८. मूल अधिनियम की धारा ७९ क की, उप-धारा (३) के,–

(क) खण्ड (क) में, " समिति के सदस्य को हटाने और उसके पद की शेष पदावधि के लिये समिति के सदस्य रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने और ऐसा सदस्य निरर्हित किये जाने का घोषित करने " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" किसी संस्था के समिति के सदस्य के रूप में निरर्हित किये जाने या जारी रहने का घोषित करने, " ;

(ख) खण्ड (ख) में,–

(एक) " सदस्यों को हटाने, सदस्य के रूप में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति और " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु आगे यह कि, ऐसी अधिसूचित राज्य परिसंघीय संस्था, संसूचना की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को अपनी राय संसूचित करेगी, ऐसा करने में विफल रहने पर यह माना जायेगा कि, ऐसी संघीय संस्था इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार, रजिस्ट्रार को अधिकतर कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिये स्वतंत्रता होगी । "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७९ख का अपमार्जन।

४९. मूल अधिनियम की धारा ७९ख, अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८१ में संशोधन।

५०. मूल अधिनियम की धारा ८१ की,–

(क) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

" (१) संस्था, (क) धारा ७५ की उप-धारा (२क) में यथा उपबंधित संस्था के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त संस्थाओं के लेखापरीक्षण लेखाओं के लिये पात्र किये जाने के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसी आवश्यक अर्हता और अनुभव धारण करनेवाला व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये और सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल से लेखा-परीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म द्वारा संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अपना लेखा परीक्षित करेगी और ऐसा लेखा संबंधित उस वित्तीय वर्ष के समापन से चार महीने की अवधि के भीतर और किसी मामले में वार्षिक साधारण निकाय बैठक कराने की सूचना जारी करने के पूर्व पूरा करने का प्रावधान करेगी और वार्षिक साधारण निकाय बैठक के समक्ष ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखेगी। शीर्ष संस्था के मामले में, ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष भी रखी जायेगी :

परंतु, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि संस्था धारा ७५ की उप-धारा (२क) और धारा ७९ की उप-धारा (१ख) द्वारा यथा उपबंधित विवरण संसूचित करने और प्रस्तुत करने में असफल होती है तो आदेश द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों के लिये राज्य सरकार या इस निमित्त में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल से किसी लेखा परीक्षक द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कर सकेगी :

परंतु यह और भी कि, संस्थाओं को एक लाख रुपयों से कम न हो शेयर पूंजी अदा है को छोड़कर किसी वित्तीय वर्ष में लेखा-परीक्षा के लिये बीस संस्थाओं से अधिक लेखापरीक्षक लेखा-परीक्षा स्वीकृत नहीं करेगी :

परंतु यह भी कि, रजिस्ट्रार राज्य सरकार या इस निमित्त में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षण फर्म का पैनल बनाए रखेगा ;

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षण फर्म के पैनल तैयार करने, घोषित करने और बनाए रखने की रीति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ;

(ग) प्रत्येक संस्था कि, समिति यह सुनिश्चित करेगी कि, ऐसी अनुसूची और अन्य विवरण विहित अवधि के भीतर संपरीक्षित है के साथ प्राप्तियाँ और अदायगियाँ या आय और व्यय, लाभ और हानि और तुलनपत्र जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण ;

(घ) रजिस्ट्रार, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष विहित्त रीत्या वार्षिक रिपोर्ट रखी जाने के लिये राज्य सरकार को प्रत्येक शीर्ष सहकारी संस्था की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(ड़) लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट,–

(एक) लेखा-परीक्षा में अवलोकित त्रुटियों या अनियमितताओं की सभी विशिष्टियों और वित्तीय अनियमितताओं और निधि के दुरुपयोग या अपहार या धोखेबाजी के मामले में लेखा-परीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म जाँच करेगी और कार्यप्रणाली रिपोर्ट सकेंगी, संस्था समिति के सदस्यों या कर्मचारियों या, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति पर सभी आवश्यक साक्ष्य से शामिल रकम और ऐसे निधि का दुरुपयोग या अपहार या धोखेबाज़ी के लिये जिम्मेदारी नियत करेगी ;

(दो) लाभ और हानि पर तत्स्थानी प्रभाव से रिपोर्ट में लेखापरीक्षण की अनियमितताओं और विस्तृत रूप से दर्शाये जानेवाले वित्तीय विवरणों पर उनके उलझनों की विस्तृत जानकारी हो ;

(तीन) संस्था की समिति और उप-समितियों के कार्य की जाँच करना और यदि किसी अनियमितताओं या उल्लंघन अवलोकित या प्रतिवेदित किया जाता है तो, ऐसी अनियमितताओं या उल्लंघन के लिये जिम्मेदारी सम्यकतया नियत की जायेगी।

(च) संस्था के लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म का पारिश्रमिक, संस्था द्वारा धारीत किया जायेगा विहित करे ऐसी दर पर दिया जायेगी।

(छ) रजिस्ट्रार, संस्थाओं की जिलावार सूची, संस्थाओं के कामकाज की सूची, संस्थाओं जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा हुई है की सूची, विहित समय के भीतर संस्थाओं जिनके लेखाओं की लेखी परीक्षा नहीं हुई है और उसके कारणों की सूची बनाए रखेगा। रजिस्ट्रार संस्था और लेखापरीक्षकों या लेखापरीक्षण फर्म से समन्वय करेगा और प्रत्येक वर्ष में सभी सहकारी संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण होने की सुनिश्चिति करेगा।

स्पष्टीकरण एक.—इस धारा के प्रयोजनार्थ, " आवश्यक अर्हता धारण करनेवाले " राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त समय-समय से, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा सम्यकतया अनुमोदित पैनल में शामिल किये जानेवाली अभिव्यक्ति का तात्पर्य, निम्न रीत्या होगा और उसमें,—

सन् १९४९ का ३८। (क) कोई व्यक्ति जो चार्टर्ड एकाउन्टेट अधिनियम, १९४९ के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेट है जिसे संस्था के कामकाज का उचित ज्ञान है और मराठी भाषा के कामकाजी ज्ञान सहित संस्थाओं के लेखापरीक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है ;

सन् १९४९ का ३८। (ख) " लेखापरीक्षण फर्म " का तात्पर्य, चार्टर्ड एकाउन्टेट अधिनियम, १९४९ के अर्थान्तर्गत एक चार्टर्ड एकाउन्टेट से अधिक फर्म से है, जिसे मराठी भाषा के कामकाजी ज्ञान के साथ संस्थाओं के कार्यों का उचित ज्ञान हैं।

(ग) " प्रमाणित लेखापरीक्षक " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री धारण की हैं, सहकारिता और लेखाशास्त्र में सरकारी डिप्लोमा पूरा किया है और जिस संस्थाओं के कार्यों का उचित ज्ञान है और मराठी भाषा के कामकाजी ज्ञान से जिसे संस्थाओं के लेखापरीक्षण में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव है ;

(घ) " सरकारी लेखा-परीक्षक " का तात्पर्य, राज्य के सहकारिता विभाग के कर्मचारी से है, जिसने स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि इसके अलावा सहकारिता प्रबंध में उच्चतर डिप्लोमा या सहकारी संपरीक्षा में डिप्लोमा या मराठी भाषा के कामकाजी ज्ञान से सहकारिता या लेखाशास्त्र में सरकारी डिप्लोमा ग्रहण किया है और सफलतापूर्वक परिविक्षा अवधि पूरी की है ;

स्पष्टीकरण दो.— लेखापरीक्षकों के पैनल में किसी लेखापरीक्षक के रूप में नामों का समावेश और धारण करने के लिये निबन्धन और शर्तें, जैसा कि विहित की जाए, ऐसे निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होंगी ;

(ख) उप-धारा (२) में, " उप-धारा (१) " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के पश्चात्, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से अधिसूचित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार, कार्यान्वित किया जायेगा और " ;

(ग) उप-धारा (२क) में, " लोकहित " शब्दों के पश्चात्, " या समाज के हित में " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (२ख) में, " रजिस्ट्रार, संचालित की जानेवाले ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग की ऐसी लेखा-परीक्षा करेगा " शब्दों के स्थान में " संस्था, संचालित किये जाने के लिये अपनी लेखा-परीक्षा करेगी " शब्द रखे जायेंगे ;

(ड़) उप-धारा (३) के,—

(एक) खण्ड (क) में " रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति " शब्दों के स्थान में, " लेखापरीक्षक " शब्द रखा जायेगा ;

(दो) खण्ड (ख) के स्थान में निम्न, खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (ख) यदि रजिस्ट्रार का यह विश्वास करने का कारण होता है कि, वहाँ धोखेबाज़ी के किसी घटक विद्यमान है, निधियों का दुरुपयोग, लेखाओं में छलसादन और संस्था के लेखाओं में गडबड़ी किये जाने की संभावना है, जिससे संस्था की हानि होती है तो वह, संस्था या संस्थाओं की किताबों अभिलेखों, खाताओं और ऐसे अन्य कागजाद और रोकड़ बाकी के सत्यापन के लिए उडान दस्ता नियुक्त करने हेतु सक्षम होगा। " ;

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) यदि, रजिस्ट्रार के ध्यान में यह लाया जाता है कि, लेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, लेखाओं का सही और ठीक वर्णन प्रकट नहीं किया है तो रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी संस्था के लेखाओं का परीक्षण कार्यान्वित कर सकेगा या कार्यान्वित किया जा सकेगा। लेखापरीक्षण जिसमें ऐसे आदेश में रजिस्ट्रार द्वारा विहित और विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे मदों की परीक्षा शामिल होगी । " ;

(च) उप-धारा (५ख) में,—

(एक) " उसके द्वारा सम्यक्तया हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षा ज्ञापन " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" उसके पूरा होने के एक महीने की अवधि के भीतर और वार्षिक साधारण निकाय बैठक की सूचना जारी करने के पूर्व, किसी मामले में अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, " ;

(दो) निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, जहाँ लेखा-परीक्षक अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर आता है कि कोई व्यक्ति लेखाओं संबंधी किसी अपराध या किसी अन्य अपराधों का दोषी है तो वह अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुति के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । संबंधित लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्, अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । लेखा-परीक्षक जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये असफल होता है तो, निरर्हता के लिये जिम्मेदार होगा और उसका नाम लेखा-परीक्षक के पैनल से हटाये जाने के लिये जिम्मेदार होगा और वह जैसा कि उचित समझे रजिस्ट्रार के रूप में कोई अन्य कार्यवाही करने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु आगे यह कि, जब रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त होती है तो लेखा-परीक्षक उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक कार्यवाही करने के लिये असफल होता है तो रजिस्ट्रार, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली प्रथम सूचना रिपोर्ट देगा :

परन्तु यह भी कि, अपने लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष पर यदि लेखा-परीक्षक यह पाता है कि, वहाँ समिति के किसी सदस्य या संस्था के अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संस्था की हानि में वित्तिय अनियमितता प्रथम दिखाई देती है तब, वह विशेष रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार को उसके समान प्रस्तुत करेगा । ऐसी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए असफल होने पर, लेखा-परीक्षक के कर्तव्यों में लापरवाही के बराबर होगी और वह किसी लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये निरर्हितता या किसी अन्य कार्यवाही जिसे रजिस्ट्रार उचित समझे, के लिये दायी होगा । "।

५१. मूल अधिनियम की धारा ८२ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८२ में संशोधन।

(क) " और उस पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही की रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देगी " शब्दों के पश्चात्, " और अगली साधारण निकाय बैठक के पूर्व उसके समान स्थान " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " जहाँ संबंधित संस्था किसी परिसंघीय संस्था की सदस्य है ऐसा आदेश परिसंघीय संस्था के परामर्श के पश्चात् किया जायेगा " शब्दों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

यदि संस्था की समिति, रजिस्ट्रार और वार्षिक साधारण निकाय बैठक को लेखा-परीक्षा परिशोधन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होती है तो समिति के सभी सदस्य धारा १४६ के अधीन अपराध में प्रतिबद्ध माने जाएँगे और तद्नुसार धारा १४७ में यथा उपबंधित शास्ति के लिए दायी होंगे। जहाँ संबंधित संस्था संघीय संस्था की सदस्य है, शास्ति के अधिरोपण का ऐसा आदेश संबंधित अधिसूचित राज्य संघीय संस्था के परामर्श के पश्चात् किया जाएगा :

परन्तु, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तद्नुसार, लेखा-परीक्षा परिशोधन रिपोर्ट की संवीक्षा करेगा और उसकी प्राप्ति के दिनांक से छह महीने के भीतर, ऐसी रिपोर्ट के बारे में संस्था को सूचित करेगा :

परन्तु आगे यही है कि संस्था संपूर्ण सुधार करने तक संस्था के सुधार रिपोर्ट पर मदवार अपनी टिप्पणियाँ देंगे और रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित लेखा-परीक्षक की होगी :

परन्तु आगे यह भी कि, ऐसी परिसंघीय संस्था, संसूचना की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को अपनी राय संसूचित करेगी, वह संसूचित करने में असफल होने पर यह माना जायेगा कि ऐसी परिसंघीय संस्था की प्रस्तावित कार्यवाही के लिए कोई आपात्ति नहीं है और तद्नुसार, रजिस्ट्रार, अधिकतर कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिये स्वतंत्र होगा । " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८३ में संशोधन।

५२. मूल अधिनियम की धारा ८३ में,–

(क) उप-धारा (१) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१) रजिस्ट्रार **स्व-प्रेरणा** से, धारा ८१ की उप-धारा (५ख) के तृतीय परन्तुक के अधीन संस्था के एक-पंचमांश सदस्यों के आवेदन पर या विशेष रिपोर्ट के आधार पर स्वयम् या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा सम्यक्तया प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संस्था के गठन, कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच करेगा । "

(ख) उप-धारा (३) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, " पाँच सौ रूपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

(ग) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जाँच पूरी करेगा और छह महीने की अवधि के भीतर और किसी मामले में नौ महिने से अधिक न हो, यथा संभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८५ में संशोधन।

५३. मूल अधिनियम की धारा ८५ की उप-धारा (१) में, " संस्था के संविभाजित सदस्यों " शब्दों के पश्चात्, " और जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, ऐसा आदेश पारित करेगा । " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८८ में संशोधन।

५४. मूल अधिनियम की धारा ८८ की उप-धारा (१) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियाँ रजिस्ट्रार द्वारा आदेश जारी करने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूरी की जायेगी । " :

परन्तु आगे यह कि, रजिस्ट्रार उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिये उक्त अवधि का विस्तार कर सकेगा । " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८९क में संशोधन।

५५. मूल अधिनियम की धारा ८९ क की, उप-धारा (१) में,—

(क) खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ग) समस्त पर्यावलोकन में यह सुनिश्चित करना है कि संस्था का कामकाज ठोस कारबारी सिद्धांत पर और व्यवसायिक और दक्ष प्रबंधन के अधीन चलाया जा रहा है ; " ;

(ख) खण्ड (घ) में, परन्तुक अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ङ) धारा ७९ द्वारा यथा उपबंधित विवरणियाँ रजिस्ट्रार को नियमित और उचित रूप में प्रस्तुत की जायेगी। " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९१ में संशोधन।

५६. मूल अधिनियम की धारा ९१ की, उप-धारा (१) में,–

(क) " अपने अधिकारियों समेत विनिर्दिष्ट संस्थाओं की समितियों के निर्वाचनों से अन्य " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) परन्तुक में, " धारा ७३-झग के अधीन विनिर्दिष्ट संस्था से अन्य या धारा ७३-छ के द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट संस्था, " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ।

५७. मूल अधिनियम की धारा ९२, की उप-धारा (१) के, खण्ड (ग) में, " या किसी धारा ७७क या ७८ के अधीन नियुक्त किया गया कोई प्रशासक, धारा १०२ या, यथास्थिति, धारा ७७क या ७८ के अधीन जारी आदेश के दिनांक से छह वर्षों के लिए होगा " शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान में निम्न रखा जायेगा, अर्थात :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९२ में संशोधन।

" या धारा ७७क या ७८ या ७८क के अधीन नियुक्त किया गया कोई प्रशासक या समिति या प्राधिकृत व्यक्ति, धारा ७७क, ७८ या ७८क या, यथास्थिति, धारा १०२ के अधीन जारी आदेश के दिनांक से छह वर्षों के लिये होगा"।

५८. मूल अधिनियम की धारा ९३, की उप-धारा (२) के पश्चात, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९३ में संशोधन।

" (३) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ सहकारी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निपटान के घटक विद्यमान है वहाँ पक्षकार को स्वीकार्य हो सकें, न्यायालय निपटान के मद प्रतिपादित करेगी और उनके अवलोकन के लिये पक्षकार को दे सकेगी और पक्षकारों का अवलोकन प्राप्त होने के पश्चात्, न्यायालय संभाव्य निपटान के मद पुनःसुनिश्चित करेगी और विवाद निर्दिष्ट करने के लिये,—

(एक) माध्यस्थम् ;

(दो) समझौता ;

(तीन) **लोक अदालत** के ज़रिए निपटान समेत न्यायिक निपटान ;

(चार) मध्यस्थता ;

(४) जहाँ विवाद निर्दिष्ट है,—

सन् १९९६ का २६। (क) माध्यस्थम् या समझौता के लिये, माध्यस्थम् और समझौता अधिनियम, १९९६ के उपबंध मानो कि माध्यस्थम् और समझौता के लिये कार्यवाहियाँ उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन विवाद निपटान के लिये निर्दिष्ट थी ;

सन् १९८७ का ३९। (ख) **लोक अदालत** के लिये, न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ के उपबंधों के अनुसरण में, **लोक अदालत** को निर्दिष्ट कर सकेगी और उस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध **लोक अदालत** को इस प्रकार निर्दिष्ट विवाद के संबंध में लागू होंगे ;

सन् १९८७ का ३९। (ग) न्यायिक निपटान के लिये, न्यायालय उस क्षेत्र में कार्यरत उचित संस्था या किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी संस्था या किसी व्यक्ति **लोक अदालत** समझा जायेगा और विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ के सभी उपबंध लागू होंगे मानों कि विवाद उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन **लोक अदालत** के लिए निर्दिष्ट था ;

(घ) मध्यस्थता के लिये न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता लागू कर सकेगी और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी। "।

५९. मूल अधिनियम की धारा ९४, की उप-धारा (३क) के स्थान में निम्न उप-धारायें रखी जायेगी, अर्थात :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९४ में संशोधन।

" (३क) जब विवाद की सुनवाई के लिये बुलाया गया है यदि, विवादी उपस्थित है और विरोधकर्ता अनुपस्थित है तो सहकारिता न्यायालय एकपक्षीय विवाद विनिश्चित कर सकेगी और निर्णय दे सकेगी। सहकारिता न्यायालय जैसा कि उचित समझे न्यायालय या अन्यथा को लागतों की अदायगी के रूप में ऐसे निबन्धनों पर एक पक्षीय निर्णय अपास्त कर सकेगी, यदि विरोधकर्ता निर्णय के दिनांक से तीस दिनों के भीतर आवेदन करता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उपसंजात होने की अपनी असफलता के लिये पर्याप्त कारण था, जब विवाद की गुणागुण पर सुनवाई के लिये और विवाद सुनवाई और विनिश्चय के लिये दिनांक नियत करेगी।

" (३ख) जब मामला सुनवाई के लिए बुलाया गया है यदि विरोधकर्ता उपस्थित है और विवादी अनुपस्थित है तो सहकारिता न्यायालय व्यतिक्रम के लिये विवाद खारिज कर सकेगी और तद्नुसार, निर्णय लिया जा सकेगा। सहकारिता न्यायालय व्यतिक्रम के लिये खारिज है तो विवाद प्रत्यवर्तित कर सकेगी और उसके समान प्रत्यावर्तित कर सकेगी, लागतों की अदायगी को ऐसे निबन्धनों पर जैसा कि वह उचित समझे, यदि विवादी उसके खारिज करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर आवेदन कर सकेगा, गुणागुण पर विवाद की सुनवाई और विनिश्चिय के लिये दिनांक नियत करेगी। "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९५ में संशोधन।

६०. मूल अधिनियम की धारा ९५, की उप-धारा (१) में,—

(क) " ९३ या १०५" अंकों और शब्द के स्थान में, " ९१, ९३ या १०५" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(ख) " प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द जहाँ कही वे आये हों, के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९६ में संशोधन।

६१. मूल अधिनियम की धारा ९६ में, " माध्यस्थम् को सहकरिता न्यायालय विवाद की सुनवाई के लिए पक्षकारों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विवाद पर निर्णय करेगी " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" सहकारिता न्यायालय, पक्षकार को विवाद की सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विवाद संबंधी निर्णय कर सकेगी "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९७ में संशोधन।

६२. मूल अधिनियम की धारा ९७ में, " प्राधिकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ९८ में संशोधन।

६३. मूल अधिनियम की धारा ९८ में,—

(क) " प्राधिकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान में, " प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " धारा १५४ के अधीन पुनरीक्षण में " शब्दों और अंकों के स्थान में, " निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" धारा १५४ के अधीन पुनरीक्षण में राज्य सरकार द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा या इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिये रजिस्ट्रार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश "।

(ग) परन्तुक में, " रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित " शब्दों के पश्चात्, " या सहकारिता न्यायालय " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०१ में संशोधन।

६४. मूल अधिनियम की धारा १०१ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " किसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा अपने देयों के बकायों की वसूली के लिए " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" किसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा अपने देयों की वसूली या अपने रखरखाव और सेवा प्रभारों की वसूली के लिये " ;

(दो) " किसी शहरी सहकारी बैंक अपने देयों के बकायों की वसूली के लिए " शब्दों के पश्चात्, निम्न निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

" या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने व्यक्तिगत सदस्यों को दी गई अग्रिम कोई राशि या गैर-कृषक सहकारी साख. संस्था द्वारा अपने देयों के बकायों की वसूली के लिये " ;

(तीन) " संबंधित संस्था पर लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर " शब्दों के स्थान में, " संबंधित संस्था पर लेखा विवरण और कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि विहित किया जाए प्रस्तुत करने पर " शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) विद्यमान **स्पष्टीकरण,** " **स्पष्टीकरण-एक** " के रूप में पुनः क्रमांकित किया जायेगा और **स्पष्टीकरण-एक** के पश्चात्, इस प्रकार पुनःक्रमांकित रूप में निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण दो**—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, " रखरखाव और सेवा प्रभार " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, ऐसा प्रभार संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था की उप-विधि या में विनिर्दिष्ट से है । " ;

(ख) उप-धारा (३) में, " भू-राजस्व की वसूली के लिये " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :-

" भू-राजस्व के बकाये के रूप में ऐसा पुनरीक्षण धारा १५४ के अधीन अधिकथित रीत्या ऐसे आदेश या मंजूरी का प्रमाणपत्र ग्राह्य होगा और ऐसा प्रमाणपत्र किसी न्यायालय में प्रश्नगत होने के लिये दायी नहीं होगा । " ;

(ग) पार्श्वटिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्वटिप्पणी रखी जायेगी, अर्थात् :—

" भू-राजस्व के बकाये के रूप में कतिपय संस्थाओं को कतिपय राशियों और देय बकाया की वसूली। " ।

६५. मूल अधिनियम की धारा १०२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क) में, " धारा ८४ के अधीन " शब्दों और अंको के पश्चात्, " या ८९क " शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०२ में संशोधन।

६६. मूल अधिनियम की धारा १०९ की, उप-धारा (१) में प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक निविष्ट किये जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०९ में संशोधन।

" परन्तुक आगे यह कि, यदि, दस वर्षों की समाप्ति परिनिर्धारण कार्यवाहीयों के समापन के कारण रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर आता है कि धारा १०५ के अधीन परिनिर्धारण कार्य उसके नियंत्रण से परे कारणों के कारण परिसमापक द्वारा पूरा नहीं किया गया हो तो वह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समापक को बुलायेगा। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात्, यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि, अस्तियों का आपन, संपत्ति, संपत्तियों का विक्रय वसूल किये जाने के लिये शेष रहता है तो, वह संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए और केवल परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ, कार्यकलाप कार्यान्वित करे और समापक से रिपोर्ट प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो परिगणना की ऐसी अवधि के भीतर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये समापक को निदेश देगा । "

६७. मूल अधिनियम की धारा ११०क की,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ११०क में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) खंड (तीन) में, " समिति के अधिक्रमण (हटाना) के लिये " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और नई समिति की प्रथम बैठक शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" समिति के निलम्बन या, यथास्थिति, अधिक्रमण के लिये और एक वर्ष से अधिक नहीं हो ऐसी अवधि के लिये, उसके स्थान में किसी प्रशासक की नियुक्ति करेगा। अधिक्रमण के मामले में, इस प्रकार नियुक्त कोई प्रशासक, अपनी पदावधि के अवसान के पूर्व, नवीन प्रबंध समिति के गठन के लिये, निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा और नवीन गठित समिति को व्यवस्था सौंपेगा। समिति के अधिक्रमण के मामले में, रजिस्ट्रार भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से निलम्बन का आदेश रद्द करेगी और समिति को व्यवस्था सौंपनें के लिये प्रशासक को निदेश देगी";

(दो) खण्ड (चार) में, " अधिक्रमण (हटाना)" शब्दों के स्थान में, " निलम्बन या अधिक्रमण" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में, " पुन:संनिर्माण" शब्दों के पश्चात्, " निलम्बन या " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ११२ में संशोधन।

६८. मूल अधिनियम की धारा ११२ की उप-धारा (१) में,—

" लोकहित " शब्दों के स्थान में, " संस्था का हित " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ११२क में संशोधन।

६९. मूल अधिनियम की धारा ११२क की,—

(क) उप-धारा (१) के,–

(एक) खण्ड (ख) में,-

(क) " निम्न सदस्यों, अर्थात् " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-खण्ड (एक) के स्थान में निम्न उप-खण्ड रखा जायेंगा, अर्थात् :—

(एक) जिले में तालुकाओं से निर्वाचित किये जानेवाले इक्कीस प्रतिनिधियों से अनधिक जिसमें आरक्षित समुदायों में प्रतिनिधियों अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से एक, अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्तियों में से एक, निरधिसूचित जनजातियों **(विमुक्त जातियों)** या खानाबदोश जनजातियों या विशेष पिछडे वर्गों के आरक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों में से एक और दो महिला सम्मिलित होगी, जो जिलों से निर्वाचित की जायेगी ;";

(ग) उप-खंड (एक-क) और (दो), अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खंड (ग), अपमार्जित किया जायेगा ;

(तीन) खंड (घ) में,–

(क) " के अध्यधीन होगा " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " उस अध्याय के अधीन " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :–

" राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :" ;

(ख) परन्तुक में, " विनिर्दिष्ट " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (३) में " कलक्टर " शब्द के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी " शब्द रखे जायेगे ;

(ग) उप-धारा (४) में, " पदेन सदस्यों से अन्य " शब्द अपमार्जित किये जायेगे ;

(घ) उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (५) सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुहेतुक विकास बैंक की समिति में अकस्मिक रिक्ति चाहे किसी भी कारणों के कारण उद्भूत हुई है तो जिसके संबंध में सक्रिय सदस्यों के उसी वर्ग से भरी जा सकेगी । ";

(ङ) उप-धारा (७) में,–

(एक) " ७३-चच " अंकों और अक्षरों के स्थान में, " ७३ गक" अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(दो) " ७८ " अंकों के पश्चात्, " ७८क " अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ११२ख में संशोधन।

७०. मूल अधिनियम की धारा ११२ख की,—

(क) उप-धारा (१) के,–

(एक) खण्ड (क) में, " खंड (ग) " और " (घ)" शब्द, कोष्टक और अक्षरों के स्थान में " खंड (घ)" शब्द, कोष्टक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) के,–

(क) उप-खंड (एक) के स्थान में, निम्न उप-खंड रखा जायेगा, अर्थात् :–

(एक) सभी जिलों के अध्यक्षों में से निर्वाचित किये जानेवाले इक्कीस सदस्य जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से एक, अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्तियों में से एक, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)** या खानाबदोश जनजाति या विशेष पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से एक पांच आरक्षित सींटे और दो महिला शामिल होगी ;";

(ख) उप-खंड (दो) के,–

(एक) परिच्छेद (क) और (ख) अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) " कलक्टर या उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किंतु कलक्टर " शब्दों के स्थान में " राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी या उस निमित्त राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किन्तु ऐसा अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " और जहाँ असफल हुआ है " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " इस प्रकार सहयोजित किये जाने के लिए हकदार " शब्दों से समाप्त होनेवाला प्रभाग अपमार्जित किया जायेगा ;

(चार) **स्पष्टीकरण** में, " के खंड (ख) और (ग) और खंड (ग) के अधीन जारी किसी आदेश " शब्दों कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान में, " खंड (ख) और (ख-१) " शब्द, कोष्टक, अक्षर और अंक रखे जायेगा ;

(ग) उप-खंड (तीन), (चार), (पांच), (छह) और (सात) अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी ;

(ग) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी या उस निमित्त राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये समिति के सदस्यों की बैठक बुलायेगा जो उप-धारा (१) के खंड (ख) के उप-खंड (एक) में निर्दिष्ट सदस्यों से होंगे और ऐसी बैठक की अध्यक्षता, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी परन्तु, ऐसे पीठासीन अधिकारी को ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।";

(घ) उप-धारा (४), (५) और (६) अपमार्जित की जायेगी ।

७१. मूल अधिनियम की धाराएँ १४४-क से १४४-म समेत अध्याय ग्यारह-क अपमार्जित किया जायेगा । सन् १९६१ का महा. २४ के अध्याय ग्यारह क और धाराएँ १४४क से १४४म का अपमार्जन।

७२. मूल अधिनियम की धारा १४६ के,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४६ में

(क) खंड (ख) में, " नियोक्ता जो " शब्दों के स्थान में " नियोक्ता जो किसी पर्याप्त कारण के बिना ऐसी कटौती की गई है के दिनांक से चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपने कर्मचारियों से उसके द्वारा कटौती की गई राशि सहकारी संस्था को अदा करने के लिये असफल होता है और कोई व्यक्ति भी जो " शब्द, रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (ड-२) में, " धारा ७३-चच " शब्दों, अकों और अक्षरों के स्थान में, " धारा ७३गक" शब्दों अकों और अक्षरों को रखा जायेगा ;

(ग) खंड (च) में, " उप-धारा (२) " शब्दों, कोष्टकों, और अक्षरों के स्थान में, " (२क) " कोष्टक अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) खंड (छ) में,–

(एक) प्रारंभ में, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" किसी सहकारी संस्था या किसी अधिकारी या उसका सदस्य अधिनियम की धारा ७५ या ७९ के अधीन जानबूझकर मिथ्या विवरणी करता है या विवरणी प्रस्तुत करने में असफल होता है या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करता है या धारा ८३ के अधीन किसी जाँच करनेवाले व्यक्ति द्वारा धारा ८८ के अधीन या इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों के अधीन तथा आवश्यक प्राधिकृत व्यक्ति उसे आवश्यक किसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये जानबूझकर असफल होता है , ";

(दो) " ७८, ८१, ८३, ८४, ९४ या १०३" अंको और अक्षर के स्थान में, " ७७क, ७८, ७८क, ८१, ८३, ८४, ८८, ८९क, ९४ या १०३ या ११०क ;" अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(ङ) खंड (ज) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

(ज) कोई अधिकारी या अभिरक्षक किसी सहकारी संस्था जिसका कोई अधिकारी या अभिरक्षक है उसी संस्था की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नगद, सुरक्षा और किसी अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा प्राधिकृत व्यक्ति को या धाराएँ ७७क, ७८, ७८क, १०३ या ११०क के अधीन नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए जानबूझकर असफल रहता है ; या

(ज-१) किसी संस्था की समिति या कोई अधिकारी या उसका सदस्य निर्वाचन के दौरान, भ्रष्ट आचरण में शामिल हो ; या

(च) खंड (त्र) के प्रारम्भ में निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात :–

" धारा ८१, ८३, ८८ या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन जारी किसी सम्मन, मांग या विधिपूर्ण लिखित आदेश की कोई व्यक्ति, जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना अवज्ञा करने ; या ";

(छ) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ठ-१) धारा ८२ के अनुसार समिति, रजिस्ट्रार को और वार्षिक साधारण निकाय बैठक को लेखा-परीक्षा परिशोधन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होती है ; या " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४७ में संशोधन।

७३. मूल अधिनियम की धारा १४७ के,—

(क) खंड (क) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (ख) में, " पाँच हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पंद्रह हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खंड (ग) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) खंड (घ) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ङ) खंड (ङ-१) में, " पाँच हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पंद्रह हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(च) खंड (ड़-२) में, " पाँच हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पंद्रह हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(छ) खंड (च) में, " ढाई सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ज) खंड (छ) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(झ) खंड (ज) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ञ) खंड (ट) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ज-१) यदि, उस धारा के अधीन खंड (ज-१) के अधीन अपराध है तो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा ";

(ट) खंड (ञ) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ठ) खंड (ञ) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ड) खंड (ट) में, " दोन हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " दस हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ढ) खंड (ठ) में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ण) खंड (ठ) के पश्चात् निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ठ-१) यदि उस धारा के अधीन खंड (ठ-१) के अधीन अपराध है तो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा ; ";

(त) खंड (ड) में, " पाँच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(थ) खंड (ढ) में, " एक हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(द) खंड (ण) में, " या जुर्माने से " शब्दों के पश्चात्, " जिसे दस हजार रुपयों के लिये बढाया जा सकेगा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ध) खंड (त) में, " या जुर्माने से " शब्दों के पश्चात्, " जिसे पंद्रह हजार रुपयों के लिये बढाया जा सकेगा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(न) खंड (थ) में, " ढ़ाई सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ।

७४. मूल अधिनियम की धारा १५२ में,— सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५२ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में निम्न, परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु, जब तक निर्णय में निश्चित पचास प्रतिशत की रकम अपीलकर्ता द्वारा संस्था से जमा नहीं की जाती है तब तक समापक द्वारा जारी निर्णय के अधीन देय वसूली के संबंध में रोक आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।";

(ख) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" (३क) अपील प्राधिकारी न्याय निवारण के उद्देश्य में असफल हो जाता है तो आक्षेप आदेश, लम्बित निर्णय और अपील की अंतिम सुनवाई के विरूद्ध रोक आदेश समेत ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु, यदि अन्य ओर की सुनवाई के बिना, अपील प्राधिकारी द्वारा कोई अंतरीम आदेश पारित किया जाता है तो अपील प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करेगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर गुणागुण पर और लिखित में अभिलिखित कारणों के लिये आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा ।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५२क में संशोधन।

७५. मूल अधिनियम की धारा १५२क, की उप-धारा (१) में,—

(क) " धारा ७३छ द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट संस्था से अन्य " शब्द, अंक और अक्षर अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) " किसी संस्था के मामले में " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " ऐसे अपील में प्रभागीय आयुक्त " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न प्रभाग रखा जायेगा, अर्थात् :—

" किसी संस्था के मामले में कोई अपील राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अधिकारी को संस्थित की जायेगी जो ऐसी अपील की प्राप्ति के दिनांक से दस दिनों के भीतर ऐसे अपील का निपटान किया जायेगा और ऐसे अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५४ में संशोधन।

७६. मूल अधिनियम की धारा १५४, की,—

(क) उप-धारा (२क) में,—

(एक) " धारा १०१ के अधीन रजिस्ट्रार " शब्दों और अंको के पश्चात् " या धारा १०५ के अधीन समापक द्वारा जारी प्रमाणपत्र " शब्द और अंक निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, ऐसे पुनरीक्षण के मामले में जहाँ पुनःरीक्षण प्राधिकारी देय वसूली के लिये किसी रोक मंजूर करता है तो प्राधिकारी यथा संभव शीघ्रता के साथ परन्तु, प्रथम आदेश के दिनांक से छह महीने से कम न हो, ऐसे पुनःरीक्षण आवेदन का निपटान करेगा ।" ;

(ख) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

(३क) पुनरीक्षण प्राधिकारी, न्याय निवारण के उद्देय में असफल हो जाता है तो आक्षेप आदेश, लम्बित निर्णय और अपील की अंतिम सुनवाई के विरूद्ध रोक आदेश समेत ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ;

परन्तु, यदि अन्य ओर की सुनवाई के बिना, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतरीम आदेश पारित किया जाता है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करेगी और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर गुणागुण पर और लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगी ।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५७ में संशोधन।

७७. मूल अधिनियम की धारा १५७ में,—

(क) "सहकारी साख संरचना इकाई से अन्य" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु आगे यह कि, राज्य सरकार धाराएँ २६, ७३क, ७३ककक, ७३ख, ७३ग, ७३गक, ७३गख, ७३ङ, ७५, ७६, ७८, ७८क, ८१ के अधीन उपबंधों या किसी अन्य उपबंधों से किसी संस्था या संस्था के वर्ग को छूट नहीं देगी।"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५८ में संशोधन।

७८. मूल अधिनियम की धारा १५८, में, " या महाराष्ट्र **जिला परिषद** और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित जिला परिषद के किसी अधिकारी को और जिला परिषद के ऐसे प्राधिकरणों और अधिकारी " शब्दों और अंकों के स्थान में " और ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों " शब्द रखे जायेंगे ।

७९. मूल अधिनियम की धारा १६०, की उप-धारा (३) में, " पांच सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पांच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १६० में संशोधन।

८०. मूल अधिनियम की धारा १६१, में,– सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १६१ में संशोधन।

(क) " धारा २१ क " शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, " धारा ७३ ग ख की उप-धाराएँ (७) और (८) के अधीन नियुक्त राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त और अधिकारी, कर्मचारियों और कर्मचारीवृन्द " शब्दों, कोष्टकों, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " धारा ७७क या ७८ " शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, " ७८क या धारा ११०क की उप-धारा (१) के खंड (तीन) " शब्दों, कोष्टकों, अंकों और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(ग) " धारा १४९ के अधीन अपील न्यायालय " शब्दों और अंकों के पश्चात् " या धारा १५६ के अधीन सशक्त किसी अधिकारी " शब्द और अंक निविष्ट किये जायेंगें ।

८१. मूल अधिनियम की धारा १६५ की उप-धारा (२) के,– सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १६५ में संशोधन।

(क) खंड (पाँच-ग) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (पाँच-ग १) प्रशिक्षण और शिक्षा का अवधि और ऐसा प्रशिक्षण जिस अंतराल में दिया जायेगा वह अवधि और अधिनियम की धारा २४ क के अधीन प्रशिक्षण और शिक्षा निधि में विभिन्न संस्थाओं के अलग-अलग दर विहित करने ;

" (पाँच-ग २) सदस्यता के संबंध में सदस्य द्वारा संस्था को की जानेवाली अदायगी की राशि ; और अधिनियम की धारा २४क के अधीन अक्रियाशील सदस्य के रूप में वर्गीकरण संसूचित करने की रीति विहित करने ;";

(ख) खंड (बत्तीस) अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (पैंतीस-क) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (पैंतीस-क) धारा ७३ ग ख के अधीन संस्थाओं के निर्वाचन के लिये प्रक्रिया विहित करने, संस्थाओं के निर्वाचन कराने के लिये निर्वाचन प्राधिकारी को समिति का निर्वाचन कराने के लिये सूचना और व्यवस्था करने के लिये उपबंध करने ; संस्था और संस्थाओं के वर्ग के लिये निर्वाचन कराने के लिये नामावली तैयार करने, इस प्रयोजन के लिये संस्थाओं का वर्गीकरण करने के लिये भी उपबंध करने ;" ;

(घ) खण्ड (पैंतीस-ख) अपमार्जित किया जायेगा ;

(ङ) खण्ड (पैंतीस-घ) अपमार्जित किया जायेगा ;

(च) खण्ड (३५-घ-१) में, धारा ७३ च (२) शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्टकों के स्थान में " धारा ७३ ग क (क १) " शब्द, अंक, अक्षर और कोष्टक रखे जायेंगे ;

(छ) खण्ड (पैंतीस-घ-१) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :–

" (पैंतीस-घ-२) उपयोग की जानेवाली आधुनिक प्रौद्योगिकी समेत निर्वाचन कराने की प्रक्रिया और रीति और निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ संस्थाओं के वर्गीकरण की रीति, और अधिनियम की धारा ७३ ग ख (१), (४) (११) के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें विहित करने ; " ;

(ज) खण्ड (पैंतालीस) में, निम्न शब्द अन्त में जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" संस्था या संस्था के वर्ग द्वारा रखे जानेवाले लेखाओं और पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप समेत प्ररूप विहित करने ; " ;

(झ) खण्ड (सैंतालीस) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (सैंतालीस) धारा ७५ और ८१ के अधीन लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिये ; राज्य विधानमंडल दोनों सदनों के समक्ष शीर्ष संस्थाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट रखने ; लेखा परीक्षक की अर्हता, अनुभव और निरर्हता के मानक ; और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्ररूप की प्रक्रिया विहित करने ; " ;

(ञ) खण्ड (तिरपन) के अन्त में, निम्न ज़ोडा जायेगा, अर्थात् :—

" धारा ९३(४) के अधीन मध्यस्थता से समझौता करने के लिये विवाद अन्तरित करने हेतु प्रक्रिया विहित करने ; " ;

(ट) खण्ड (उनसठ-क) के अन्त में, निम्न ज़ोडा जायेगा, अर्थात् :—

" लेखाओं और अन्य दस्तावेजों के विवरण का प्ररूप विहित करने ; " ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १६६ में संशोधन।

८२. मूल अधिनियम की धारा १६६ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा ७३गख की उप-धारा (१५) के उपबंधों के अध्यधीन ३१ मार्च २०१३ के पश्चात्, जिन समितियों के निर्वाचन होनेवाले है वह समितियाँ उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी समितियों का निर्वाचन लिये जाने तक या उनकी अवधि अवसित होने तक जो भी पहले हो, जारी रहेगी । प्रशासक, समापक या रजिस्ट्रार के सभी आदेश पर ऐसे आदेश में उल्लिखित अवधि के लिये जारी रहेंगे मानो कि उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश पारित है । इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, समापक या कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या न्यायालय उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार या किसी तत्स्थानी अधिकारी या प्राधिकारी या न्यायालय जहाँ आवश्यक हो अंतरित होगी और उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे रजिस्ट्रार, अधिकारी, प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा जारी रहेगी और निपटायी जायेगी : परन्तु, संस्था की किसी ऐसी समिति नवनिर्वाचित समिति पदग्रहण करने तक जारी रहेगी । " । सन् २०१३ का महा. १६।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १६८ की निविष्टि।

८३. मूल अधिनियम की धारा १६७ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

" **१६८.** (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध करेगी जैसा कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो । सन् २०१३ का महा. १६।

परंतु, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१३ के प्रारंभण दिनांक में दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा। सन् २०१३ का महा. १६।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, (यथा शीघ्र) राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा । " ।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ६।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ती संबंधि विशेष उपबंध।

८४. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१३, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ और महाराष्ट्र सरकारी संस्था (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१३ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति जारी की गई समझी जायेगी।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. २।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ६।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.